कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

संविधान कै मूलभूत प्रावधानः संक्षिप्त परिचय

१. नेपाल के संविधान में आत्मसात किहा मूल्य, मान्यता औ सिद्धान्त

- नेपाल कै स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता औ स्वाभिमान का अक्षुण्ण राखब ।
- जनता कै सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता औ स्वशासन के अधिकार का आत्मसात करब ।
- राष्ट्रहित, लोकतन्त्र औ अग्रगामी परिवर्तन के खातिर भवा ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग औ बलिदान कै स्मरण करत शहीद,लापता औ पीडित नागरिक प्रति सम्मान प्रकट करब ।
- बहुजातीय,बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक औ भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता का आत्मसात कइ कै विविधता के बीच कै एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता औ सद्भाव कै संरक्षण औ प्रवर्धन करब ।
- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद औ सब किसिम कै जातीय छुवाछूत कै अन्त्य कइ कै,आर्थिक समानता औ सामाजिक न्याय सुनिश्चित कइ कै समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण करब ।
- जनता कै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष औ सक्षम न्यायपालिका औ कानूनी राज्य के अवधारणा पर आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहि कै समृद्ध राष्ट्र निर्माण करै कै प्रतिवद्धता ।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था के माध्यम के से दीर्घकालिक शान्ति, सुशासन, विकास औ समृद्धि करै कै उद्देश्य ।

२. प्रारम्भिक व्यवस्था

- सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता से जारी भवा संविधान नेपाल कै मूल कानून होय ।
- संविधान से बाझै वाला कानून बाझै के हद तक अमान्य होई ।
- संविधान कै पालना करब हरेक नागरिक कै कर्तव्य रही ।

- नेपाल कै सार्वभौमसत्ता औ राजकीय सत्ता नेपाली जनता में निहित रही ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधता में रहा समान आकांक्षा औ नेपाल कै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित औ समृद्धि के प्रति आस्थावान रहि कै, एकता के सूत्र में आबद्ध राष्ट्र के रुप में रही ।
- नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य होय ।
- नेपाल में बोली जायवाली हरेक मातृभाषा का राष्ट्रभाषा के रुप में मान्यता मिला है ।
- देवनागरी लिपि में लिखा जायवाला नेपाली भाषा नेपाल के सरकारी कामकाज कै भाषा होय ।
- नेपाली भाषा के साथै प्रदेश अपने प्रदेश के भित्तर बहुसंख्यक जनता के द्वारा बोला जायवाला अन्य राष्ट्रभाषा का प्रदेश के कानून अनुसार प्रदेश के सरकारी कामकाज कै भाषा निर्धारण कइ सकत है ।

३. नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान

- कवनो नेपाली नागरिक नागरिकता पावै के हक से वञ्चित नाही किहा जाई ।
- प्रादेशिक पहिचान सहित कै एकल संघीय नागरिकता कै व्यवस्था किहा है ।
- संविधान लागु होत के समय नेपाल कै नागरिकता प्राप्त व्यक्ति नेपाल कै नागरिक होय ।
- वंशज के आधार पर नेपाल कै नागरिकता पावै वाला व्यक्ति निज कै बाप वा महतारी के नांव से लैङ्गिक पहिचान सहित कै नागरिकता कै प्रमाणपत्र पइ हैं ।
- नागरिक कै परिचय खुलै के हिसाब से अभिलेख राखि जाई ।
- नेपाली नागरिकताका प्राप्त होय कै अवस्था :-

१. वंशज

- संविधान लागु होय से पहिले वंशज कै नागरिकता पावा व्यक्ति,
- जन्म के समय कवनो व्यक्ति कै बाप वा महतारी नेपाल कै नागरिक हैं तो, वइसने अवस्था कै व्यक्ति,
- संविधान लागु होय से पहिले वन कै बाप औ महतारी दूनौ जने जन्म के आधार पर नेपाल कै नागरिकता लिहे हैं, तो वन कै सन्तान बालिग होय के बाद ,

- नेपाल के भित्तर मिला पितृत्व औ मातृत्व कै ठेकाना न रहा नाबालक निज कै बाप या महतारी पता न लागै तक,
- नेपाल कै नागरिक महतारी से नेपालै में जन्म होई कै नेपालै में बसोबास किहा साथै बाप कै पहिचान न भवा व्यक्ति,

  लेकिन बाप विदेशी नागरिक ठहरे पर संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता में बदलि जाई,
- विदेशी नागरिक से बियाह करै वाली नेपाली महिला नागरिक से जन्मा, निज नेपालै में स्थायी बसोबास कइ कै, विदेशी मुलुक कै नागरिकता प्राप्त न किहा अवस्था औ नागरिकता प्राप्त करै के वकत निज कै महतारी औ बाप दुनौ नेपाली नागरिक हैं तौ नेपाल मा जन्मा वइसन व्यक्ति ।

२. अंगिकृत नागरिकता

क. विदेशी नागरिक संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता पाय सकत हैं ।

ख. वैवाहिक अंगिकृत

- नेपाली नागरिक से वैवाहिक सम्बन्ध कायम भवा विदेशी महिला संघीय कानून बमोजिम,
- विदेशी नागरिक से बियाह करै के बाद नेपाली नागरिक से जन्मा , नेपालै में स्थायी बसोवास किहा औ विदेशी नागरिकता प्राप्त न किहा व्यक्ति संघीय कानून बमोजिम

  लेकिन नागरिकता प्राप्त करत के समय महतारी औ बाप दुनौ नेपाली नागरिक हैं तो वंशज के आधार पर नेपाली नागरिकता पाय सकत हैं ।

३. सम्मानार्थ नागरिकता

- संघीय कानून बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान कई सका जाई ।

४. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता

- विदेशी मुलुक कै नागरिकता प्राप्त किहा, सार्क बाहेक के मुलुक में बसोबास किहा, साविक में वंशज वा जन्म के आधार पर निज या निज के बाप या महतारी, बाबा या दादी कै नेपाल के नागरिक के रुप में में बसोबास औ बाद में विदेशी नागरिकता प्राप्त किहा व्यक्ति ।
- संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक औ सांस्कृतिक अधिकार उपभोग करै के पई हैं ।

५. नेपाल मा जुटि गवा क्षेत्र में बसोबास करै वाले व्यक्ति कै नागरिकता

- नेपाल में सामिल होय के हिसाब से कवनो क्षेत्र मिले पर, वहि क्षेत्र के भित्तर बसोबास करै वाले व्यक्ति संघीय कानून के अधीन में रहि कै नेपाल कै नागरिक होइ हैं ।

४. समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी

नेपाल कै संविधान सब का सम्मानपूर्वक जियै पावै कै हक, स्वतन्त्रता कै हक, समानता कै हक, सञ्चार कै हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडित कै हक, यातना विरुद्ध कै हक, निवारक नजरबन्द विरुद्ध कै हक, छुवाछूत औ भेदभाव विरुद्ध कै हक, सम्पत्ति कै हक, धार्मिक स्वतन्त्रता कै हक, सूचना कै हक, गोपनीयता कै हक, शोषण विरुद्ध कै हक, स्वच्छ वातावरण कै हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृति कै हक, रोजगारी कै हक, श्रम कै हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवास कै हक, महिला कै हक, बालबालिका कै हक, दलित कै हक, ज्येष्ठ नागरिक कै हक, सामाजिक न्याय कै हक, सामाजिक सुरक्षा कै हक, उपभोक्ता कै हक, देश निकाला विरुद्ध कै हक, संवैधानिक उपचार कै हक का मौलिक हक के रुप में स्थापित किहा गा है । सथवै, संवैधानिक निकाय के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै व्यवस्था किहा गा है ।

यकरे साथै महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, सीमान्तीकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, अपांगता रहा व्यक्ति, थारु औ मुस्लिम के सम्बन्ध में अन्य अधिकार देहाय बमोजिम है:

४.१ महिला के अधिकार सम्बन्ध में

- समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण किहा जाई।
- लैंगिक विभेद अन्त्य किहा जाई ।
- महतारी के नांव से नागरिकता प्राप्त करै लगायत कै नागरिकता सम्बन्धी विषय पर नागरिकता के शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख भवा बमोजिम होई ।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग या अन्य कवनो आधार पर भेदभाव नाही किहा जाई ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पिछे परी महिला लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास खातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- महिला का लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक रही ।
- मंहिला का सुरक्षित मातृत्व औ प्रजनन स्वास्थ्य कै हक रही ।
- महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन या अन्य कवनो आधार पर शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक या अन्य कवनो किसिम कै हिंसाजन्य कार्य या शोषण नाही किहा जाई औ वइसन काम दण्डनीय रही साथै पीडित का क्षतिपूर्ति मिली ।
- राज्य के हरेक निकाय में महिला कै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त के आधार पर सहभागीता रही ।
- महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी औ सामाजिक सुरक्षा में सकारात्मक विभेद के आधार पर विशेष अवसर पई हैं ।
- सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिला में दम्पती कै समान हक रही ।
- सामाजिक रूप से पाछे परी महिला का समेत समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही ।
- आर्थिक रूप से विपन्न, अशक्त औ असहाय अवस्था में रहे, असहाय एकल महिला का समेत सामाजिक सुरक्षा पावै कै हक रही ।

- मौलिक हक औ मानव अधिकार कै मूल्य औ मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित करै कै राज्य कै राजनीतिक उद्देश्य रही ।
- असहाय अवस्था में रही एकल महिला का सीप, क्षमता औ योग्यता के आधार पर रोजगारी कै प्राथमिकता देत वन के जीविकोपार्जन खातिर समुचित व्यवस्था किहा जाई ।
- जोखिम में रही, सामाजिक औ पारिवारिक बहिष्करण में परी साथै हिंसा पीडित महिला कै पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण कई के स्वावलम्बी बनावा जाई ।
- प्रजनन अवस्था में जरुरी सेवा, सुविधा उपभोग कै सुनिश्चितता किहा जाई ।
- बालबच्चा कै पालन पोषण, परिवार कै देखभाल जइसन काम औ योगदान का आर्थिक रूप में मूल्यांकन किहा जाई ।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासी के पहिचान कई के बसोबास खातिर, घर घडेरी औ जीविकोपार्जन खातिर कृषियोग्य जमीन या रोजगारी कै व्यवस्था कइ कै पुनःस्थापना किहा जाई ।
- आर्थिक रूप से विपन्न का प्राथमिकता दिहा जाई ।
- राज्य कै संरचना करत के समानता पर आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व औ पहिचान कै संरक्षण किहा जाई ।
- राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग या समुदाय कै रहि हैं ।
- प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा के निर्वाचन में समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खातिर उम्मेदवारी देत के महिला का समेत समावेश कई कै बन्द सुची तयार किहा जाई ।
- संघीय संसद औ प्रदेश सभा में निर्वाचित होय वाले कुल सदस्य मध्ये कम्ती में एक तिहाइ महिला सदस्य रहै कै किसिम से सुनिश्चित किहा गा है ।
- राष्ट्रिय सभा में प्रत्येक प्रदेश से कम्ती में तीन जनी महिला निर्वाचित होय के औ मनोनीत करत के कम्ती में एक जनी महिला समावेश किहा जइहैं ।
- प्रतिनिधि सभा कै सभामुख औ उपसभामुख मध्ये एक औ राष्ट्रिय सभा कै अध्यक्ष औ उपाध्यक्ष मध्ये एक जनी महिला रहि हैं ।
- प्रदेश सभामुख या प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जनी महिला रहि हैं ।
- गावँ कार्यपालिका औ नगर कार्यपालिका में चार जनी महिला सदस्य रहि हैं ।
- जिला समन्वय समिति में कम्ती में तीन जनी महिला रहि हैं ।
- गावँपालिका औ नगरपालिका के हरेक वडा से कम्ती में दुई जनी महिला कै प्रतिनिधित्व होय के हिसाब से गाउँसभा औ नगरसभा कै गठन होई ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकाय के रुप में रही औ वोकर अध्यक्ष औ सदस्य महिला रहि हैं ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग जरुरत के अनुसार प्रदेश में कार्यालय स्थापना कई सकत है ।
- नेपाली सेना में महिला कै समेत प्रवेश समानता औ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई ।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि कै समावेशी सिद्धान्त के आधारपर नियुक्ति किहा जाई ।
- संवैधानिक निकाय औ अन्य निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।

४.२ दलित के अधिकार सम्बन्ध में

- सब किसिम कै जातीय छुवाछूत कै अन्त्य किहा जाई ।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करब राज्य कै राजनीतिक उद्देश्य रही ।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति,धर्म,वर्ण, जात,जाति या अन्य कवनो आधार पर भेदभाव नाही किहा जाई ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे परी महिला, दलित, लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास खातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- कवनो व्यक्ति का उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय या शारीरिक अवस्था के आधार पर कवनो निजी तथा सार्वजनिक स्थान पर कवनो किसिम कै छुवाछूत या भेदभाव नाही किहा जाई ।
- कवनो वस्तु, सेवा या सुविधा उत्पादन या वितरण करत के वइसन वस्तु, सेवा या सुविधा कवनो खास जात या जाति के व्यक्ति का खरीद या पावै से रोक लगावै या वइसन वस्तु, सेवा या सुविधा कवनो खास जात या जाति के व्यक्ति का भर बिक्री वितरण या प्रदान नाही किहा जाई ।
- उत्पत्ति, जात, जाति या शारीरिक अवस्था के आधार पर कवनो व्यक्ति या समुदाय का उच्च या नीच दर्सावै, जात, जाति या छुवाछूत के आधार पर सामाजिक भेदभाव का न्यायोचित ठानै या छुवाछूत औ जातीय उच्चता या घृणा पर आधारित विचार कै प्रचार प्रसार करै या जातीय विभेद का कवनो किसिम से प्रोत्साहन करै के नाही मिली ।
- जातीय आधार पर छुवाछूत कइ के या न कइ के कार्यस्थल पर कवनो किसिम से भेदभाव करै के नाही मिली ।
- सब किसिम कै छुवाछूत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराध के रुप में दण्डनीय रही औ पीडित का क्षतिपूर्ति दिहा जाई ।
- दलित का राज्य के हरेक निकाय में समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त के आधार पर सहभागी करावा जाई ।
- दलित समुदाय का अपने परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप औ प्रविधि कै प्रयोग, संरक्षण औ विकास करै कै अधिकार रही ।
- सार्वजनिक सेवा लगायत कै रोजगारी के अन्य क्षेत्र में दलित समुदाय कै सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व औ सहभागिता खातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- दलित विद्यार्थी का प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा कै व्यवस्था किहा जाई ।
- प्राविधिक औ व्यावसायिक उच्च शिक्षा में दलित खातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- दलित समुदाय का स्वास्थ्य औ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करै कै विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- दलित समुदाय का परम्परागत पेशा से सम्बन्धित आधुनिक व्यवसाय में ऊ लोग का प्राथमिकता दइ कै वकरे खातिर जरुरी सीप औ स्रोत उपलब्ध करावा जाई ।
- भूमिहीन दलित का एक बेर जमीन उपलब्ध कराय जाई औ आवासविहीन दलित का बसोबास कै व्यवस्था किहा जाई ।
- दलित समुदाय का मिला सुविधा दलित महिला, पुरुष औ सब दलित समुदाय का समानुपातिक रूप में मिलै के हिसाब से न्यायोचित वितरण किहा जाई ।
- सामाजिक रूप से पीछे परी महिला, दलित समेत समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही ।

- समाज में विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति औ संस्कार के नांव पर होयवाला सब किसिम कै विभेद, असमानता, शोषण औ अन्याय कै अन्त्य किहा जाई ।
- हरवाह, चरवाह, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी कै पहिचान कई कै बसोबास खातिर घर घडेरी औ जीविकोपार्जन खातिर कृषियोग्य जमीन या रोजगारी कै व्यवस्था कइ कै पुनःस्थापना किहा जाई ।
- उत्पीडित औ पिछड़ा क्षेत्र के नागरिक कै संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास औ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति कै अवसर औ लाभ खातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- सामाजिक सुरक्षा औ सामाजिक न्याय देत के सब लिंग, क्षेत्र औ समुदाय के भित्तर के आर्थिक रूप से विपन्न का प्राथमिकता दिहा जाई ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होयवाला प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर राजनीतिक दल उम्मेदवारी देत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई ।
- राष्ट्रिय सभा में प्रत्येक प्रदेश से कम्ती में एक जने दलित का निर्वाचित किहा जाई ।
- गावँ कार्यपालिका में दलित या अल्पसंख्यक समुदाय से गावँ सभा से निर्वाचित भवा दुइ जने सदस्य रहि हैं ।
- नगर कार्यपालिका में दलित या अल्पसंख्यक समुदाय से नगर सभा से निर्वाचित भवा तीन जने सदस्य रहि हैं ।
- जिला समन्वय समिति में दलित या अल्पसंख्यक से जिला सभा से निर्वाचित भवा कम्ती में एक जने सदस्य रहि हैं ।
- राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकाय के रुप में रही औ वोकर अध्यक्ष औ सदस्य खाली दलित भर रहि हैं ।
- राष्ट्रिय दलित आयोग जरुरत के अनुसार प्रदेश में कार्यालय स्थापना कई सकत है ।
- नेपाली सेना में दलित समेत कै प्रवेश समानता औ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई ।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पदपर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।

४.३ मधेशी के अधिकार सम्बन्ध में

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करै के राज्य कै राजनीतिक उद्देश्य रही ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि औ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करै खातिर समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण किहा जाई ।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति,धर्म,वर्ण, जात,जाति या अन्य कवनो आधार पर भेदभाव नाही किहा जाई ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे परे मधेशी लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास खातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- नेपाल में बसोबास करै वाले हरेक नेपाली समुदाय का कानून बमोजिम अपने मातृभाषा में शिक्षा पावै औ वकरे खातिर विद्यालय औ शैक्षिक संस्था खोलै औ सञ्चालन करै के हक रही ।
- नेपाल में बसोबास करै वाले हरेक नेपाली समुदाय का अपने भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता औ सम्पदा कै संवर्धन औ संरक्षण करै कै हक रही ।
- सामाजिक सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे परे मधेशी लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास खातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई ।

- समाज में विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कार के नाव पर होयवाला सब किसिम कै विभेद, असमानता, शोषण औ अन्याय कै अन्त्य किहा जाई ।
- मधेशी का आर्थिक, सामाजिक औ सांस्कृतिक अवसर औ लाभ कै समान वितरण के साथै वहि समुदाय के भित्तर के विपन्न नागरिक कै संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण औ विकास कै अवसर औ लाभ के खातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- हरवाह, चरवाह, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी कै पहिचान कइ के बसोबास खातिर घर घडेरी औ जीविकोपार्जन के खातिर कृषियोग्य जमीन या रोजगारी कै व्यवस्था कइ कै पुनःस्थापना किहा जाई ।
- उत्पीडित औ पिछडा क्षेत्र के नागरिक कै संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास औ आधारभूत जरुरत के परिपूर्ति कै अवसर औ लाभ के खातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- सामाजिक सुरक्षा औ सामाजिक न्याय देत के सब लिंग, क्षेत्र औ समुदाय के भित्तर के आर्थिक रूप से विपन्न का प्राथमिकता दिहा जाई ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होय वाले प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर राजनीतिक दल से उम्मेदवारी देत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई ।
- संवैधानिक निकाय के रुप में नेपाल में एक मधेशी आयोग रही ।
- नेपाली सेना में मधेशी समेत कै प्रवेश समानता औ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई ।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि कै समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।

४.४ आदिवासी जनजाति के अधिकार सम्बन्ध में

- समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण किहा जाई ।
- जातीय, क्षेत्रीय औ भाषिक विभेद कै अन्त्य किहा जाई ।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति या अन्य कवनो आधार पर भेदभाव नाही किहा जाई,
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े आदिवासी, आदिवासी जनजाति लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास खातिर कानून बमोजिम कै विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- नेपाल में बसोबास करै वाले हरेक नेपाली समुदाय का कानून बमोजिम अपने मातृभाषा में शिक्षा पावै औ वकरे खातिर विद्यालय औ शैक्षिक संस्था खोलै औ सञ्चालन करै कै हक रही ।
- नेपाल में बसोबास करै वाले हरेक नेपाली समुदाय का अपने भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता औ सम्पदा कै संवर्धन औ संरक्षण करै के हक रही ।
- सामाजिक रूप से पीछे परे, आदिवासी, आदिवासी जनजाति समेत का समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही ।
- राष्ट्रिय सम्पदा कै रुप में रहा कला, साहित्य औ सङ्गीत के विकास में जोड़ दिहा जाई ।
- समाज में विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कार के नांव पर होयवला सब किसिम कै विभेद, असमानता, शोषण औ अन्याय कै अन्त्य किहा जाई ।

- देश के सांस्कृतिक विविधता कायम राखत समानता एवं सहअस्तित्व के आधार पर तमाम जातजाति औ समुदाय के भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र औ सम्पदा कै संरक्षण औ विकास किहा जाई ।
- आदिवासी जनजाति कै पहिचान सहित सम्मानपूर्वक जियै पावैक अधिकार सुनिश्चित करैक अवसर तथा लाभ करती विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- आदिवासी जनजाति से सरोकार राखै वाले निर्णय में ऊ लोगन का सहभागी कराय जाई ।
- आदिवासी जनजाति औ स्थानीय समुदाय कै परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा औ अनुभव का संरक्षण औ संवर्धन किहा जाई ।
- राज्य कै संरचना करत के समानता पर आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व औ पहिचान कै संरक्षण किहा जाई ।
- राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग या समुदाय के रहि हैं ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होयवाला प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा कै निर्वाचन करती राजनीतिक दल से उम्मेदवारी देत के समावेशी आधार पर दिहा जाई ।
- संवैधानिक निकाय के रुप में नेपाल में एक आदिवासी जनजाति आयोग रही ।
- नेपाली सेना में आदिवासी जनजाति समेत कै प्रवेश समानता औ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई ।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि कै समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।

४.५ पिछडा वर्ग के अधिकार सम्बन्ध में

- सामाजिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करै कै राज्य कै राजनीतिक उद्देश्य रही ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि औ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करै खातिर समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण किहा जाई ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे परा पिछडा वर्ग लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण औ विकास खातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- सामाजिक रूप से पीछे परे पिछडा वर्ग समेत का समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही ।
- आर्थिक, सामाजिक,सांस्कृतिक अवसर औ लाभ कै समान वितरण के साथै वइसने समुदाय के भित्तर के विपन्न नागरिक कै संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण के साथै विकास कै अवसर औ लाभ खातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- उत्पीडित औ पिछड़ा क्षेत्र के नागरिक कै संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास औ आधारभूत जरुरत परिपूर्ति कै अवसर औ लाभ खातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- सामाजिक सुरक्षा औ सामाजिक न्याय प्रदान करत के हरेक लिंग, क्षेत्र औ समुदाय के भित्तर कै आर्थिक रूप से विपन्न का प्राथमिकता दिहा जाई ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होय वाले प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर राजनीतिक दल से उम्मेदवारी देत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई ।

- पिछडा वर्ग समेत के हक अधिकार कै संरक्षण खातिर संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै व्यवस्था ।
- नेपाली सेना में पिछडा वर्ग समेत कै प्रवेश समानता औ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई ।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि कै समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।

४.६ सीमान्तीकृत समुदाय के अधिकार सम्बन्ध में

- राजनीतिक, आर्थिक औ सामाजिक रूप से पीछे परे , विभेद औ उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटता के नाते से सेवा सुविधा कै उपभोग न कई पावे वाले या मानव विकास के स्तर से न्यून स्थिति में रहा समुदाय का सीमान्तीकृत समुदाय के रुप में परिभाषित किहा गा है ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि औ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करै खातिर समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण होई ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे परे सीमान्तीकृत समुदाय लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास खातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- सामाजिक रूप से पीछे परे सीमान्तीकृत समुदाय समेत का समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही ।
- उत्पीडित औ पिछड़ा क्षेत्र के नागरिक कै संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास औ आधारभूत जरुरत परिपूर्ति कै अवसर औ लाभ खातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- सामाजिक सुरक्षा औ सामाजिक न्याय देत के हरेक लिंग, क्षेत्र औ समुदाय के भित्तर कै आर्थिक रूप से विपन्न का प्राथमिकता दिहा जाई ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होय वाले प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर राजनीतिक दल से उम्मेदवारी देत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई ।
- सीमान्तीकृत समुदाय समेत के हक अधिकार कै संरक्षण करै खातिर संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै व्यवस्था ।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पदपर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।

४.७ अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार सम्बन्ध में

- निर्धारित प्रतिशत से कम जनसंख्या रहा जातीय, भाषिक औ धार्मिक समूह का अल्पसंख्यक के रुप में परिभाषित किहा गा है ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि औ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करै खातिर समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण होई ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास करती कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई ।

- सामाजिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समेत का समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही ।
- आपन पहिचान कायम राखि कै सामाजिक औ सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग कै अवसर औ लाभ खातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- उत्पीडित औ पिछड़ा क्षेत्र के नागरिक कै संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास औ आधारभूत जरुरत परिपूर्ति कै अवसर औ लाभ खातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- सामाजिक सुरक्षा औ सामाजिक न्याय देत के हरेक लिंग, क्षेत्र औ समुदाय के भित्तर के आर्थिक रूप से विपन्न का प्राथमिकता प्रदान किहा जाई ।
- राष्ट्रिय सभा में प्रत्येक प्रदेश से कम्ती में एक जने अपांगता रहा व्यक्ति या अल्पसंख्यक निर्वाचित होय कै सुनिश्चित किहा गा है ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होय वाले प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर राजनीतिक दल से उम्मेदवारी देत के समावेशी सिद्धान्त के आधारपर किहा जाई ।
- गावँ कार्यपालिका में दलित या अल्पसंख्यक समुदाय से गावँ सभा से निर्वाचित भवा दुईजने सदस्य रहैक सुनिश्चित किहा गा है ।
- नगर कार्यपालिका में दलित या अल्पसंख्यक समुदाय से नगर सभा से निर्वाचित भवा तीनजने सदस्य रहैक सुनिश्चित किहा गा है ।
- जिला समन्वय समिति में दलित या अल्पसंख्यक से जिला सभा से निर्वाचित भवा कम्ती में एक जने सदस्य रहैक सुनिश्चित किहा गा है ।
- अल्पसंख्यक समुदाय समेत के हक अधिकार कै संरक्षण करै खातिर संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै व्यवस्था ।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि कै समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधारमा नियुक्ति किहा जाई ।

४.८ थारु के अधिकार सम्बन्ध में

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य किहा जाई ।
- समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण किहा जाई ।
- मौलिक हक औ मानव अधिकार के मूल्य औ मान्यता का सुनिश्चित करै कै राज्य कै राजनीतिक उद्देश्य रही ।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा या क्षेत्र, वैचारिक आस्था या अन्य कवनो आधार पर भेदभाव नाही किहा जाई ।

- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे परे थारू लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास खातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- नेपाल में बसोबास करै वाले हरेक नेपाली समुदाय का कानून बमोजिम अपने मातृभाषा में शिक्षा पावै औ वकरे खातिर विद्यालय औ शैक्षिक संस्था खोलै औ चलावै कै हक रही ।
- नेपाल में बसोबास करै वाले हरेक नेपाली समुदाय का अपने भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता औ सम्पदा कै संवर्धन औ संरक्षण करै कै हक रही ।
- सामाजिक रूप से पीछे परा थारु समेत का समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही ।
- मुक्त कम्हलरी, भुमिहीन, सुकुम्बासी कै पहिचान कइ के बसोबास खातिर घर घडेरी औ जीविकोपार्जन खातिर कृषियोग्य जमीन या रोजगारी कै व्यवस्था करत वन कै पुनःस्थापना किहा जाई ।
- संवैधानिक निकाय के रुप में एक थारु आयोग कै व्यवस्था रही ।
- राज्य कै संरचना करत के समानता पर आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व औ पहिचान कै संरक्षण किहा जाई ।
- राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग या या समुदाय के रहि हैं ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होय वाले प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर राजनीतिक दल से उम्मेदवारी देत के समावेशी आधार पर किहा जाई ।
- संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै व्यवस्था किहा जाई ।
- नेपाली सेना में थारु कै समेत कै प्रवेश समानता औ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई ।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।
- जनसंख्या कै घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायात कै सुगमता, सामुदायिक औ सांस्कृतिक पक्ष का समेत ध्यान राखत काम करै खातिर निर्वाचन क्षेत्र कै निर्धारण होई ।

४.९ मुस्लिम के अधिकार सम्बन्ध में

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य किहा जाई ।
- समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण किहा जाई ।
- मौलिक हक औ मानव अधिकार कै मूल्य औ मान्यता सुनिश्चित करै कै राज्य कै राजनीतिक उद्देश्य रही ।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा या क्षेत्र, वैचारिक आस्था या अन्य कवनो आधार पर भेदभाव नाही किहा जाई ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे परे मुस्लिम लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास खातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- नेपाल में बसोबास करै वाले हरेक नेपाली समुदाय का कानून बमोजिम अपने मातृभाषा में शिक्षा पावै औ वकरे खातिर विद्यालय औ शैक्षिक संस्था खोलै औ चलावै कै हक रही ।
- नेपाल में बसोबास करै वाले हरेक नेपाली समुदाय का अपने भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता औ सम्पदा कै संवर्धन औ संरक्षण करै कै हक रही ।

- सामाजिक रूप से पीछे परे मुस्लिम समेत का समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही ।
- मुस्लिम समुदाय समेत का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवसर औ लाभ कै समान वितरण औ वइसने समुदाय भित्तर के विपन्न नागरिक कै संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण औ विकास कै अवसर तथा लाभ करती विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- संवैधानिक निकाय के रुप में एक मुस्लिम आयोग रही ।
- राज्य कै संरचना करत के समानता पर आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व औ पहिचान कै संरक्षण किहा जाई ।
- राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग या समुदाय के रही हैं ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होयवाला प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा के निर्वाचन करती राजनीतिक दल से उम्मेदवारी देत के समावेशी आधार पर किहा जाई ।
- नेपाली सेना में मुस्लिम समेत कै प्रवेश समानता औ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई ।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।
- जनसंख्या कै घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायात कै सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्ष का समेत ध्यान राखत काम करै खातिर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण होई ।

४.१० अपांगता रहा व्यक्ति के अधिकार सम्बन्ध में

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करै के राज्य कै राजनीतिक उद्देश्य रही ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि औ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करै खातिर समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण किहा जाई ।
- सामाजिक सुरक्षा औ सामाजिक न्याय प्रदान करत के हरेक लिंग, क्षेत्र औ समुदाय के भित्तर के आर्थिक रूप से विपन्न का प्राथमिकता प्रदान करै के राज्य कै सामाजिक न्याय औ समावेशीकरण सम्बन्धी नीति रही ।
- सामान्य कानून के प्रयोग में शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, या यही किसिम से अन्य कवनो आधार पर भेदभाव नाही किहा जाई ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे, अपांगता रहा व्यक्ति, लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास खातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- अपांगता रहा औ आर्थिक रूप से विपन्न नागरिक का कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पावै के हक रही ।
- दृष्टिविहीन नागरिक का ब्रेललिपि औ बहिर औ स्वर या बोलाइ सम्बन्धी अपांगता रहा नागरिक का सांकेतिक भाषा के माध्यम से कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पावै के हक रही ।
- सामाजिक रूप से पिछे परे अपांगता रहा व्यक्ति समेत का समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही ।

- अपांगता रहा नागरिक का विविधता के पहिचान सहित मर्यादा औ आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन करै पावै कै औ सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा में समान पहुँच कै हक रही ।
- आर्थिक रूप से विपन्न, अशक्त औ असहाय अवस्था में रहा, अपांगता रहा नागरिक का सामाजिक सुरक्षा कै हक रही ।
- राष्ट्रिय सभा में प्रत्येक प्रदेश से कम्ती में एक जने अपांगता रहा व्यक्ति या अल्पसंख्यक निर्वाचित होयक सुनिश्चित किहा गा है ।
- अपांगता रहा व्यक्ति समेत कै हक अधिकार कै संरक्षण, सशक्तिकरण, विकास औ सम्वृद्धि खातिर संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै व्यवस्था किहा गा है ।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि कै समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

संविधान के मूलभूत प्रावधानः संक्षिप्त चिनारी

१. नेपाल के संविधान के आत्मसात कइल मूल्य, मान्यता आ सिद्धान्त

- नेपाल के स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता आ स्वाभिमान के अक्षुण्ण राखे के ।
- जनता के सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता आ स्वशासन के अधिकार के आत्मसात कइल ।
- राष्ट्रहित, लोकतन्त्र आ अग्रगामी परिवर्तन खातिर भइल ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग आ बलिदान के स्मरण करत शहीद तथा बेपत्ता आ पीडित नागरिक प्रति सम्मान प्रकट ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता के आत्मसात कके विविधता बीच के एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता आ सद्भाव के संरक्षण एवं प्रवर्धन ।
- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद आ सब किसिम के जातीय छुवाछूत के अन्त कके आर्थिक समानता आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे खातिर समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण ।
- जनता के प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष आ सक्षम न्यायपालिका आ कानूनी राज्य के अवधारणा में आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहके समृद्ध राष्ट्र निर्माण करेके प्रतिवद्धता ।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था के माध्यम द्वारा टिकाउँ शान्ति, सुशासन, विकास आ समृद्धि करेके उद्देश्य ।

२. प्रारम्भिक व्यवस्था

- सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता से जारी भइल संविधान नेपाल के मूल कानून ह ।
- संविधान से टकराएवाला कानून टकराइल हद तकले अमान्य होखी ।
- संविधान के पालन कइल सब केहु के कर्तव्य होखेवाला ।
- नेपाल के सार्वभौमसत्ता आ राजकीयसत्ता नेपाली जनता में निहित रहल ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधता में रहल समान आशरा आ नेपाल के राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धि खातिर आस्थावान रहके एकता के सूत्र में आबद्ध राष्ट्र के रुप में रहल ।
- नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य ह ।
- नेपाल में बोलल जाएवाला सब मातृभाषा राष्ट्रभाषा के रुप में रहल ।
- देवनागरी लिपि में लिखल नेपाली भाषा नेपाल के सरकारी कामकाज के भाषा ह ।
- नेपाली भाषा के साथे प्रदेश आपन प्रदेश भितर बहुसंख्यक जनता द्वारा बोलल जाएवाला औरी राष्ट्रभाषा के प्रदेश के कानून अनुसार प्रदेश के सरकारी कामकाज के भाषा बना सकल जाएवाला ।

३. नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान

- कवनो भी नेपाली नागरिक नागरिकता पावे के हक से वञ्चित ना हाखेवाला ।
- प्रादेशिक पहिचान सहित के एकल संघीय नागरिकता के व्यवस्था भइल ।
- संविधान लागु होखे के बेरा नेपाल के नागरिकता लेहल आदमी नेपाल के नागरिक होई ।
- वंशज के आधार पर नेपाल के नागरिकता लेहल आदमी ओकर बाबु भा मई के नाम से लैङ्गिक पहचान सहित के नागरिकता के प्रमाणपत्र लेहल जा सकेवाला ।
- नागरिक के परिचय खुलेवाला अभिलेख राखल जाएवाला ।
- नेपाली नागरिकता लेहल जासकेवाला अवस्था :-

१. वंशज

- o संविधान जारी होखे से पहिले से वंशज के नागरिकता प्राप्त लेहल व्यक्ति,
- o जन्म होखे के बेरा कवनो व्यक्ति के बाबु भा माई नेपाल के नागरिक रहल अवस्था में ओइसन व्यक्ति,
- o संविधान जारी भइला के अगाडिए से बाबु आ माई दुनू जन्म के आधार पर नेपाल के नागरिकता लेहल लोग के लइका बालिग भइला के बाद,
- o नेपाल भितर मिलल बाबु आ माई के पता ना भइल नाबालक के बाबु भा माई के पता ना लागे तकले,
- o नेपाल के नागरिक माई से नेपाल में जन्म होके नेपाल में ही रहत आ बाबु के पहचान होखे ना सकल व्यक्ति,

  बाकिर बाबु विदेशी नागरिक ठहरला पर संघीय कानून अनुसार अंगीकृत नागरिकता में नागरिकता बदल जाई,
- o विदेशी नागरिक से विवाह कइल नेपाली जनाना नागरिक से जन्मल लइका नेपाल में ही स्थायी बसोबास कके ऊ लइका विदेश के नागरिकता ना लेहल आ नागरिकता लेवे के बेरा ओकर माई आ बाबु दूनू नेपाली नागरिक रहल बा तब नेपाल में जन्मल ओइसन व्यक्ति ।

२. अंगिकृत नागरिकता

क. विदेशी नागरिक संघीय कानून अनुसार अंगीकृत नागरिकता ले सकेवाला ।

ख. वैवाहिक अंगिकृत

- o नेपाली नागरिक से वैवाहिक सम्बन्ध कायम कइल विदेशी महिला संघीय कानून अनुसार,
- o विदेशी नागरिक से विवाह कइल नेपाली नागरिक से जन्मल नेपाल में ही स्थायी बसोवास कइल आ विदेशी नागरिकता ना लेहल व्यक्ति संघीय कानून अनुसार

  बाकिर नागरिकता लेवे के बेरा माई आ बाबु दुनू जना नेपाली नागरिक रहला पर वंशज के आधार पर नेपाली नागरिकता ले सकल जाई ।

३. सम्मानार्थ नागरिकता

- o संघीय कानून अनुसार सम्मानार्थ नागरिकता देसकल जाएवाला ।

४. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता

- o विदेशी मुलुक के नागरिकता लेहल, सार्क बाहेक के मुलुक में बसोबास कइल, वास्तव में वंशज भा जन्म के आधार पर ऊ भा उनकार बाबु भा माई, बाबा भा इया (दाई) नेपाल के नागरिक रह के बाद में विदेशी नागरिकता लेहल व्यक्ति
- o संघीय कानून अनुसार आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार उपभोग करे के मिली

५. नेपाल में जोडाइल क्षेत्र में रहेवाला व्यक्ति के नागरिकता

- o नेपाल भितर जोडाएवाला कवनो क्षेत्र मिलला पर ओइसन क्षेत्र भितर बसोबास भइल व्यक्ति संघीय कानून के अधीन में रह के नेपाल के नागरिक हाखी ।

४. समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी

नेपाल के संविधान सब केहु खातिर सम्मानपूर्वक बाँचे के मिले के हक, स्वतन्त्रता के हक, समानता के हक, सञ्चार के हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडित के हक, यातना विरुद्ध के हक, निवारक नजरबन्द विरुद्ध के हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध के हक, सम्पत्ति के हक, धार्मिक स्वतन्त्रता के हक, सूचना के हक, गोपनीयता के हक, शोषण विरुद्ध के हक, स्वच्छ वातावरण के हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृति के हक, रोजगारी के हक, श्रम के हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवास के हक, महिला के हक, लइकन के हक, दलित के हक, ज्येष्ठ नागरिक के हक, सामाजिक न्याय के हक, सामाजिक सुरक्षा के हक, उपभोक्ता के हक, देश निकाला विरुद्ध के हक, संवैधानिक उपचार के हक के मौलिक हक के रुप में स्थापित कइले बा । साथे, संवैधानिक निकाय के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग के व्यवस्था कइल गइल बा ।
यकर अलावा, जनाना, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, सीमान्तीकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, अपांगता भइल व्यक्ति, थारु आ मुस्लिम के सम्बन्ध में औरी अधिकार निचा देहल अनुसार रहल बा,

४.१ महिला लोग के अधिकार सम्बन्ध में

- समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण करी,
- लैंगिक विभेद अन्त करी ।
- माई के नाम से नागरिकता मिलेवाला लगायत के नागरिकता सम्बन्धी विषय उपर नागरिकता के शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख कइल अनुसार होखी
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग भा औरी कवनो आधार पर भेदभाव ना कइल जाई ।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पछाडी पडल जनाना लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था होई ।
- जनाना के लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक होई ।
- जनाना के सुरक्षित मातृत्व आ प्रजनन स्वास्थ्य के हक होई ।
- जनाना विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन भा औरी कवनो आधार पर शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक भा औरी कवनो किसिम के हिंसाजन्य काम भा शोषण ना कइल जाई आ ओइसन काम दण्डनीय होई तथा पीडित लोग के क्षतिपूर्ति मिली ।
- राज्य के सब निकाय में जनाना के समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त के आधार पर सहभागीता रही ।
- जनाना लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आ सामाजिक सुरक्षा में सकारात्मक विभेद के आधार पर विशेष अवसर प्राप्त करी लोग ।
- सम्पत्ति आ पारिवारिक मामला में दम्पती के समान हक होई ।
- सामाजिक रूप से पछाडी परल जनाना, समेत समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होखे के मिले खातिर सामाजिक न्याय के हक होई ।
- आर्थिक रूप से विपन्न, अशक्त आ असहाय अवस्था में रहल, असहाय एकल जनाना समेत सामाजिक सुरक्षा पावे के हक होई ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकार के मूल्य आ मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित करेके राज्य के राजनीतिक उद्देश्य होई ।
- असहाय अवस्था में रहल एकल महिला के सीप, क्षमता आ योग्यता के आधार पर रोजगारी में प्राथमिकता देते जीविकोपार्जन खातिर समुचित व्यवस्था होई ।
- जोखिम में पडल सामाजिक आ पारिवारिक बहिष्करण में पडल आ हिंसा पीडित जनाना के पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण कके स्वावलम्बी बनावल जाई ।
- प्रजनन अवस्था में आवश्यक सेवा सुविधा उपभोग के सुनिश्चितता कइल जाई ।
- बालबच्चा के पालन पोषण, परिवार के रेखदेख जइसन काम आ योगदान के आर्थिक रूप में मूल्यांकन कइल जाई ।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासी लोग के पहचान कके बसोबास खातिर घर घडेरी तथा जीविकोपार्जन खातिर कृषियोग्य जमीन भा रोजगारी के व्यवस्था करत पुनःस्थापना कइल जाई ।
- आर्थिक रूप से विपन्न के प्राथमिकता देहल जाई ।

- राज्य के संरचना करे के बेरा समानता में आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहचान के संरक्षण कइल जाई ।
- राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति दुसर-दुसर लिंग भा समुदाय के होई ।
- प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव में समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खातिर उम्मेदवारी देवे के बेरा जनाना लोग के समेत समावेश कके बन्दसूची तयार कइल जाई ।
- संघीय संसद आ प्रदेश सभा में निर्वाचित होखेवाला जम्मा सदस्य के कम्ती में एक तिहाइ जनाना सदस्य होई सुनिश्चित कइल गइल ।
- राष्ट्रिय सभा में प्रत्येक प्रदेश से कम्ती में तीन जना जनाना निर्वाचित होई आ मनोनीत करे के बेरिया कम्ती में एक जना जनाना समावेश करे के पडी ।
- प्रतिनिधि सभा के सभामुख आ उपसभामुख मेसे एक जना आ राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष मेसे एक जना जनाना होई ।
- प्रदेश सभामुख भा प्रदेश उपसभामुख मेसे एक जना जनाना होई ।
- गाँव कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिका में चार जना जनाना सदस्य रही ।
- जिल्ला समन्वय समिति में कम्ती में तीनजना जनाना रही ।
- गाउँपालिका आ नगरपालिका के प्रत्येक वडा से कम्ती में दू जना जनाना के प्रतिनिधित्व होई ओइसन गाउँसभा आ नगरसभा के गठन होई ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकाय के रुप में रही आ ओकर अध्यक्ष आ सदस्य लोग जनाना मात्रे रही लोग ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेश में कार्यालय स्थापना कर सकेला ।
- नेपाली सेना में जनाना के समेत प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर होई ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।
- संवैधानिक निकाय आ दुसर निकाय के पद में समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।

४.२ दलित के अधिकार सम्बन्ध में

- सब प्रकार के जातीय छुवाछूत के अन्त होई ।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेके राज्य के राजनीतिक उद्देश्य होई ।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति भा औरी कवनो आधार पर भेदभाव ना कइल जाई ।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछडल जनाना, दलित, लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- कवनो भी व्यक्ति के उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय भा शारीरिक अवस्था के आधार पर कवनो निजी तथा सार्वजनिक स्थान पर कवनो प्रकार के छुवाछूत भा भेदभाव ना कइल जाई ।
- कवनो वस्तु, सेवा भा सुविधा उत्पादन भा वितरण कइला पर ओइसन वस्तु, सेवा भा सुविधा कवनो खास जात भा जात के व्यक्ति के किने भा प्राप्त करे से रोक लगावे के भा ओइसन वस्तु, सेवा भा सुविधा कवनो खास जात भा जात के व्यक्ति के मात्रे बिक्री वितरण भा प्रदान ना कइल जाई ।
- उत्पत्ति, जात, जाति भा शारीरिक अवस्था के आधार पर कवनो व्यक्ति भा समुदाय के उच्च भा नीच देखावेवाला, जात, जाति भा छुवाछूत के आधार पर सामाजिक भेदभाव के न्यायोचित मानेके भा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता भा घृणा पर आधारित विचार के प्रचार प्रसार करेके भा जातीय विभेद के कवनो किसिम से प्रोत्साहन करे के ना मिली ।
- जातीय आधार पर छुवाछूत कके भा ना कके कार्यस्थल पर कवनो प्रकार के भेदभाव करेके ना मिली ।
- सब प्रकार के छुवाछूत तथा भेदभाव जन्य काम गम्भीर सामाजिक अपराध के रूप में दण्डनीय होखी आ पीडित के क्षतिपूर्ति दियाई ।
- दलित के राज्य के सब निकाय में समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त के आधार पर सहभागी होखे के मिली ।
- दलित समुदाय के आपन परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप आ प्रविधि के प्रयोग, संरक्षण आ विकास करे मिली ।

- सार्वजनिक सेवा लगायत के रोजगारी के औरी क्षेत्र में दलित समुदाय के सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व आ सहभागिता खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- दलित विद्यार्थी के प्राथमिक से उच्च शिक्षा तकले छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा के व्यवस्था कइल जाई ।
- प्राविधिक आ व्यावसायिक उच्च शिक्षा में दलित खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- दलित समुदाय के स्वास्थ्य आ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- दलित समुदाय के परम्परागत पेशा से सम्बन्धित आधुनिक व्यवसाय में ओह लोग के प्राथमिकता देके ओकरा खातिर आवश्यक परेवाला सीप आ स्रोत उपलब्ध करावल जाई ।
- भूमिहीन दलित के एक बेर जमीन उपलब्ध करावल जाई आ आवासविहीन दलित के बसोबास के व्यवस्था कइल जाई ।
- दलित समुदाय के प्राप्त सुविधा दलित जनाना, मरदाना आ सब समुदाय के दलित समानुपातिक रूप में न्यायोचित वितरण कइल जाई ।
- सामाजिक रूप से पछाडि पडल जनाना, दलित समेत समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागि होखे के सामाजिक न्याय के हक होई ।
- समाज में विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कार के नाम पर होखेवाला सब प्रकार के विभेद, असमानता, शोषण आ अन्याय के अन्त कइल जाई ।
- हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी लोग के पहचान कके बसोबास खातिर घर घडेरी तथा जीविकोपार्जन खातिर कृषियोग्य जमीन भा रोजगारी के व्यवस्था करत पुनःस्थापना कइल जाई ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्र के नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करे के बेरा सब लिंग, क्षेत्र आ समुदाय भितर के आर्थिक रूप से विपन्न के प्राथमिकता प्रदान कइल जाई ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार होखेवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव खातिर राजनीतिक दल उम्मेदवारी देवे के बेरा समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई ।
- राष्ट्रिय सभा में प्रत्येक प्रदेश से कम्ती में एक जना दलित निर्वाचित करे के पडी ।
- गाँव कार्यपालिका में दलित भा अल्पसंख्यक समुदाय से गावँ सभा से निर्वाचित भइल दू जना सदस्य रही ।
- नगर कार्यपालिका में दलित भा अल्पसंख्यक समुदाय से नगर सभा से निर्वाचित भइल तीन जना सदस्य रही ।
- जिल्ला समन्वय समिति में दलित भा अल्पसंख्यक से जिल्ला सभा से निर्वाचित भइल कम्ती में एक जना सदस्य रही ।
- राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकाय के रुप में रही आ ओकर अध्यक्ष आ सदस्य सब दलित मात्रे रही ।
- राष्ट्रिय दलित आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेश में भी कार्यालय स्थापना कर सकता ।
- नेपाली सेना में दलित समेत के प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।
- संवैधानिक अंग आ निकाय के पद में समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।

४.३ मधेशी के अधिकार सम्बन्ध में

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे के राज्य के राजनीतिक उद्देश्य होई ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे खातिर समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण कइल जाई ।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, भा अन्य कवनो आधार पर भेदभाव ना कइल जाई ।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछडल मधेशी लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- नेपाल में रहेवाला प्रत्येक नेपाली समुदाय के कानून अनुसार आपन मातृभाषा में शिक्षा लेवे के आ ओकरा खातिर विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोले के आ सञ्चालन करेके हक होई ।

- नेपाल में रहेवाला प्रत्येक नेपाली समुदाय के आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आ सम्पदा के संवर्धन आ संरक्षण करे के हक होई ।
- सामाजिक रूप से पछाडि पडल मधेशी समेत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय मे सहभागी होखे के सामाजिक न्याय के हक होई ।
- समाज में विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कार के नाम पर होखेवाला सब प्रकार के विभेद, असमानता, शोषण आ अन्याय के अन्त होई ।
- मधेशी के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आ लाभ के समान वितरण तथा ओइसन समुदाय भितर के विपन्न नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आ विकास के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी लोग के पहचान कके बसोबास खातिर घर घडेरी तथा जीविकोपार्जन खातिर कृषियोग्य जमीन भा रोजगारी के व्यवस्था करत पुनःस्थापना कइल जाई ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्र के नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करे के बेरा सब लिंग, क्षेत्र आ समुदाय भितर के आर्थिक रूप से विपन्न प्राथमिकता प्रदान कइल जाई ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार होखेवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर राजनीतिक दल द्वारा उम्मेदवारी देवे के बेरा समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई ।
- संवैधानिक निकाय के रुप में नेपाल में एगो मधेशी आयोग रही ।
- नेपाली सेना में मधेशी समेत के प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।
- संवैधानिक अंग आ निकाय आ पद में समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।

४.४ आदिवासी जनजाति के अधिकार सम्बन्ध में

- समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार में समतामूलक समाज के निर्माण कइल जाई ।
- जातिय, क्षेत्रीय आ भाषिक विभेद के अन्त कइल जाई ।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति भा औरी कवनो आधार पर भेदभाव ना कइल जाई ।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछडल आदिवासी, आदिवासी जनजाति लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- नेपाल में रहेवाला प्रत्येक नेपाली समुदाय के कानून अनुसार आपन मातृभाषा में शिक्षा पावे के आ ओकरा खातिर विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोले के आ सञ्चालन करे के हक होई ।
- नेपाल में रहेवाला प्रत्येक नेपाली समुदाय के आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आ सम्पदा के संवर्धन आ संरक्षण करे हक होई ।
- सामाजिक रूप से पछाडि पडल, आदिवासी, आदिवासी जनजाति समेत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होके सामाजिक न्याय के हक होई ।
- राष्ट्रिय सम्पदा के रूप में रहल कला, साहित्य आ सङ्गीत के विकास में जोड देहल जाई,
- समाज में विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कार के नाम पर होखेवाला सब प्रकार के विभेद, असमानता, शोषण आ अन्याय के अन्त कइल जाई ।
- देश के सांस्कृतिक विविधता कायम राखत समानता एवं सहअस्तित्व के आधार पर विभिन्न जातजाति आ समुदाय के भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र आ सम्पदा के संरक्षण आ विकास कइल जाई ।
- आदिवासी जनजाति के पहचान सहित सम्मानपूर्वक बाँचे के अधिकार सुनिश्चित करे खातिर अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- आदिवासी जनजाति से सरोकार राखेवाला निर्णयसब में सहभागी करावल जाई ।

- आदिवासी जनजाति आ स्थानीय समुदाय के परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा आ अनुभव के संरक्षण आ संवर्धन कइल जाई ।
- राज्य के संरचना करे के बेरा समानता में आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहचान के संरक्षण कइल जाई ।
- राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति दुसर-दुसर लिंग भा समुदाय के होई ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार होखेवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर का राजनीतिक दल उम्मेदवारी देवे के बेरा समावेशी आधार में कइल जाई ।
- संवैधानिक निकाय के रुप में नेपाल में एगो आदिवासी जनजाति आयोग रही ।
- नेपाली सेना में आदिवासी जनजाति समेत के प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।
- संवैधानिक अंग आ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।

४.५ पिछडा वर्ग के अधिकार सम्बन्ध में

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेके राज्य के राजनीतिक उद्देश्य होई ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे खातिर समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण कइल जाई ।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक रुप से पिछडल पिछडा वर्ग लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- सामाजिक रूप से पछाडि पडल पिछडा वर्ग समेत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होखे के सामाजिक न्याय के हक होई ।
- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आ लाभ के समान वितरण तथा त्यस्ता समुदाय भितर के विपन्न नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आ विकास के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्र के नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करे के बेरा सब लिंग, क्षेत्र आ समुदाय भितर के का आर्थिक रूप से विपन्न के प्राथमिकता देहल जाई ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होखेवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चसनाव खातिर राजनीतिक दल द्वारा उम्मेदवारी देवे के बेरा समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई ।
- पिछडा वर्ग समेत के हक अधिकार के संरक्षण खातिर संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग के व्यवस्था ।
- नेपाली सेना में पिछडा वर्ग समेत के प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।
- संवैधानिक अंग आ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।

४.६ सीमान्तीकृत समुदाय के अधिकार सम्बन्ध में

- राजनीतिक, आर्थिक आ सामाजिक रूप से पछाडि पडल, विभेद आ उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटता के कारण से सेवा सुविधा के उपभोग करे ना सकेवाला भा मानव विकास के स्तर से न्यून स्थिति में रहल समुदाय के सीमान्तीकृत समुदाय के रुप में परिभाषा कइल ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे खातिर समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण कइल जाई ।

- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछडल सीमान्तीकृत समुदाय लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- सामाजिक रूप से पछाडि पडल सीमान्तीकृत समुदाय समेत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होखे के सामाजिक न्याय के हक होई ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्र के नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करे के बेरा सब लिंग, क्षेत्र आ समुदाय भितर के आर्थिक रूप से विपन्न के प्राथमिकता प्रदान कइल जाई ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होखेवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव खातिर राजनीतिक दल द्वारा उम्मेदवारी देवे के बेरा समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई ।
- सीमान्तीकृत समुदाय समेत के हक अधिकार के संरक्षण करे खातिर संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग को व्यवस्था ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।
- संवैधानिक अंग आ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।

४.७ अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार सम्बन्ध में

- निर्धारित प्रतिशत से कम जनसंख्या रहल जातीय, भाषिक आ धार्मिक समूह से अल्पसंख्यक के रुप में परिभाषा कइल ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे खातिर समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण कइल जाई ।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछडल अल्पसंख्यक लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- सामाजिक रूप पछाडि पडल अल्पसंख्यक समेत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होखे के सामाजिक न्याय के हक होई ।
- आपन पहचान कायम राखत सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्र के नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करे के बेरा सब लिंग, क्षेत्र आ समुदाय भितर के आर्थिक रूप से विपन्न के प्राथमिकता प्रदान कइल जाई ।
- राष्ट्रिय सभा में प्रत्येक प्रदेश से कम्ती में एक जना अपांगता भइल व्यक्ति भा अल्पसंख्यक निर्वाचित हाखे के सुनिश्चित कइल ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार होखेवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर राजनीतिक दल द्वारा उम्मेदवारी देवे के बेरा समावेशी सिद्धान्त के आधार पर मा कइल जाई ।
- गाँव कार्यपालिका में दलित भा अल्पसंख्यक समुदाय से गाँव सभा द्वारा निर्वाचित भइल दू जना सदस्य रहेके सुनिश्चित कइल ।
- नगर कार्यपालिका में दलित भा अल्पसंख्यक समुदाय से नगर सभा द्वारा निर्वाचित भइल तीन जना सदस्य होई सुनिश्चित कइल ।
- जिल्ला समन्वय समिति में दलित भा अल्पसंख्यक से जिल्ला सभा निर्वाचित कइल कम्ती में एक जना सदस्य होई सुनिश्चित कइल ।
- अल्पसंख्यक समुदाय समेत के हक अधिकार के संरक्षण करे खातिर संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग के व्यवस्था ।

- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।
- संवैधानिक अंग आ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।

४.८ थारु के अधिकार सम्बन्ध में

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त कइल जाई ।
- समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण कइल जाई ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकार के मूल्य आ मान्यता सुनिश्चित करे खातिर राज्य के राजनीतिक उद्देश्य होई ।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा भा क्षेत्र, वैचारिक आस्था भा औरी कवनो आधार में भेदभाव ना कइल जाई ।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से ले पिछडल थारू लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- नेपाल में रहेवाला प्रत्येक नेपाली समुदाय के कानून अनुसार आपन मातृभाषा में शिक्षा पावे के आ ओकरा खातिर विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोले के आ सञ्चालन करे के हक होई ।
- नेपाल में रहेवाला प्रत्येक नेपाली समुदाय के आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आ सम्पदा के संवर्धन आ संरक्षण करे के हक होई ।
- सामाजिक रूप से पछाडि पडल थारु समेत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होखे के सामाजिक न्याय के हक हाई ।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासी लोग के पहचान कके रहे खातिर घर घडेरी तथा जीविकोपार्जन खातिर कृषियोग्य जमीन भा रोजगारी के व्यवस्था करत पुनःस्थापना कइल जाई ।
- संवैधानिक निकाय के रुप में एगो थारु आयोग के व्यवस्था कइल जाई ।
- राज्य के संरचना करे के बेरा समानता में आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहचान के संरक्षण कइल जाई ।
- राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति अलग-अलग लिंग भा समुदाय के होई ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार होखेवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर राजनीतिक दल द्वारा उम्मेदवारी देवे के बेरा समावेशी आधार पर कइल जाई ।
- संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग के व्यवस्था कइल ।
- नेपाली सेना में थारु समेत के प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।
- संवैधानिक अंग आ निकाय के पद में समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।
- जनसंख्या के घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायात के सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्ष के समेत ध्यान राखत काम करे खातिर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कइल जाई ।

४.९ मुस्लिम के अधिकार सम्बन्ध में

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त कइल जाई ।
- समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण कइल जाई ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकार के मूल्य आ मान्यता सुनिश्चित करे के राज्य के राजनीतिक उद्देश्य होई ।
- सामान्य कानून के प्रयोग पर उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा भा क्षेत्र, वैचारिक आस्था भा औरी कवनो आधार पर भेदभाव ना कइल जाई ।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछडल मुस्लिम लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था कइल जाई ।

- नेपाल में रहेवाला प्रत्येक नेपाली समुदाय के कानून अनुसार आपन मातृभाषा में शिक्षा पावे के आ ओकरा खातिर विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोले के आ सञ्चालन करे के हक होई ।
- नेपाल में रहेवाला प्रत्येक नेपाली समुदाय के आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आ सम्पदा के संवर्धन आ संरक्षण करे के हक होई ।
- सामाजिक रूपले पछाडि परेका मुस्लिम समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
- मुस्लिम समुदाय समेत के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आ लाभ के समान वितरण तथा ओइसन समुदाय भितर के विपन्न नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आ विकास के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- संवैधानिक निकाय के रुप में एगो मुस्लिम आयोग रही ।
- राज्य के संरचना करे के बेरा समानता में आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहचान के संरक्षण कइल जाई ।
- राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति अलग-अलग लिंग भा समुदायको होई ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार हाखेवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर राजनीतिक दल द्वारा उम्मेदवारी देवे के बेरा समावेशी आधार में कइल जाई ।
- नेपाली सेना में मुस्लिम समेत के प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।
- संवैधानिक अंग आ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।
- जनसंख्या के घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायात के सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्ष के समेत ध्यान राखत काम करे खातिर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण होई ।

४.१० अपांगता भइल व्यक्ति के अधिकार सम्बन्ध में

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेवाला राज्य के राजनीतिक उद्देश्य होई ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे खातिर समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण कइल जाई ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करे के बेरा सब लिंग, क्षेत्र आ समुदाय भितर के आर्थिक रूप से विपन्न के प्राथमिकता प्रदान कइल राज्य के सामाजिक न्याय आ समावेशीकरण सम्बन्धी नीति होई ।
- सामान्य कानून के प्रयोग में शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, भा ओइसन औरी कवनो आधार पर भेदभाव ना कइल जाई ।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछडल, अपांगता भइल व्यक्ति, लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- अपांगता भइल आ आर्थिक रूप से विपन्न नागरिक के कानून अनुसार निःशुल्क उच्च शिक्षा पावे के हक होई ।
- आन्हर नागरिक के ब्रेललिपि तथा बहिर आ बागड नागरिक के सांकेतिक भाषा के माध्यम से कानून अनुसार निःशुल्क शिक्षा पावे के हक होई ।
- सामाजिक रूप से पछाडि पडल अपांगता भइल व्यक्ति समेत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होखे के सामाजिक न्याय के हक होई ।
- अपांगता भइल नागरिक के विविधता पहचान सहित मर्यादा आ आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन करेके पावे खातिर आ सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा में समान पहुँच के हक होई ।
- आर्थिक रूप से विपन्न, अशक्त आ असहाय अवस्था में रहल, अपांगता भइल नागरिक के सामाजिक सुरक्षा के हक होई ।

- राष्ट्रिय सभा में प्रत्येक प्रदेश से कम्ती में एक जना अपांगता भइल व्यक्ति भा अल्पसंख्यक निर्वाचित होखे के लसुनिश्चित कइल गइल ।
- अपांगता भइल व्यक्ति समेत के हक अधिकार के संरक्षण, सशक्तिकरण, विकास आ सम्वृद्धि खातिर संवैधानिक आयोग रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग के व्यवस्था कइल गइल ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।
- संवैधानिक अंग आ निकाय के पद में समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

संविधानका मूलभूत प्रावधानः संक्षिप्त चिनारी

१. नेपालको संविधानले आत्मसात गरेका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त

- नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने ।
- जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरिएको ।
- राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै शहीद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिक प्रति सम्मान प्रकट ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण एवं प्रवर्धन ।
- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण ।
- जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता ।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि गर्ने उद्देश्य ।

२. प्रारम्भिक व्यवस्था

- सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताबाट जारी भएको संविधान नेपालको मूल कानून हो ।
- संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने ।
- संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने ।
- नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध राष्ट्रको रुपमा रहने ।
- नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
- नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषाको रुपमा रहने ।
- देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हो ।

- नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने ।

३. नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान

- कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नहुने ।
- प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको ।
- संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति नेपालको नागरिक हुने ।
- वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको बाबु वा आमाको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने ।
- नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राखिने ।
- नेपाली नागरिकताका प्राप्त हुने अवस्था :-

१. वंशज

- संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति,
- जन्म हुदाँ कुनै व्यक्तिको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति,
- संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बाबु र आमा दुवैले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तान बालिग भएपछि,
- नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म,
- नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मभई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति,

  तर बाबु विदेशी नागरिक ठहरेमा संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने,
- विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको, निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरी निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको र नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्ति ।

२. अंगिकृत नागरिकता

क. विदेशी नागरिकले संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ।

ख. वैवाहिक अंगिकृत

- नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले संघीय कानून बमोजिम,
- विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिकबाट जन्मिएको, नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले संघीय कानून बमोजिम

  तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने ।

३. सम्मानार्थ नागरिकता

- संघीय कानून बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ।

४. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता

- विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको, सार्क बाहेकको मुलुकमा बसोबास गरेको, साविकमा वंशज वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति
- संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने

५. नेपालमा गाभिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको नागरिकता

- नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति संघीय कानूनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुने ।

४. समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी

नेपालको संविधानले सबैको लागि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हक लाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएको छ । साथै, संवैधानिक निकायको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त, महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, सीमान्तीकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, अपांगता भएका व्यक्ति, थारु र मुस्लिमका सम्बन्धमा अन्य अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन्:

४.१ महिलाका अधिकार सम्बन्धमा

- समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने
- लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने ।
- आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने लगायतका नागरिकता सम्बन्धी विषय माथि नागरिकताको शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरे बमोजिम हुने ।
- सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुने ।
- महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुने ।
- महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने ।
- राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागीता रहने ।
- महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने ।
- सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने ।
- सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, समेतले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने ।
- आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला समेतले सामाजिक सुरक्षा पाउने हक हुने ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
- असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्ने ।
- जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने ।
- प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने ।
- बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने ।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने ।
- आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।

- राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
- राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ।
- प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि उम्मेदवारी दिंदा महिलालाई समेत समावेश गरी बन्दसूची तयार गर्ने ।
- संघीय संसद र प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी सुनिश्चित गरिएको ।
- राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला निर्वाचित हुने र मनोनीत गर्दा कम्तीमा एक जना महिला समावेश गर्नु पर्ने ।
- प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने ।
- प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने ।
- गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा चार जना महिला सदस्य रहने ।
- जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा तीनजना महिला रहने ।
- गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँसभा र नगरसभाको गठन हुने ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सोका अध्यक्ष र सदस्यहरु महिला मात्र रहने ।
- राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने ।
- नेपाली सेनामा महिलाको समेतका प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
- नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
- संवैधानिक निकाय र अन्य निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।

४.२ दलितको अधिकार सम्बन्धमा

- सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने ।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
- सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- कुनै व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने ।
- कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान नगरिने ।
- उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने ।
- जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने ।
- सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने ।
- दलितले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने ।
- दलित समुदायले आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्न पाउने ।
- सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्था गरिने ।
- दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने ।

- प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि विशेष व्यवस्था गरिने ।
- दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न विशेष व्यवस्था गरिने ।
- दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराईने ।
- भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमीन उपलब्ध गराईने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गरिने ।
- दलित समुदायलाई प्राप्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायका दलितले समानुपातिक रूपमा पाउने गरी न्यायोचित वितरण गरिने ।
- सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित समेतले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागि हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
- समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने ।
- हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने ।
- उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
- राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना दलित निर्वाचित गर्नु पर्ने ।
- गाउँ कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने ।
- नगर कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्य रहने ।
- जिल्ला समन्वय समितिमा दलित वा अल्पसंख्यकबाट जिल्ला सभाले निर्वाचित गरेको कम्तीमा एक जना सदस्य रहने ।
- राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सोका अध्यक्ष र सदस्यहरु दलित मात्र रहने ।
- राष्ट्रिय दलित आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने ।
- नेपाली सेनामा दलित समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
- नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
- संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।

४.३ मधेशीको अधिकार सम्बन्धमा

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
- सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका मधेशी लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने ।
- नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने ।
- सामाजिक रूपले पछाडि परेका मधेशी समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमासहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने ।
- समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने ।

- मधेशीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने ।
- उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
- संवैधानिक निकायको रुपमा नेपालमा एक मधेशी आयोग रहने ।
- नेपाली सेनामा मधेशी समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
- नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
- संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।

४.४ आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धमा

- समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
- जातिय, क्षेत्रीय र भाषिक विभेदको अन्त्य गर्ने ।
- सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने,
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका आदिवासी, आदिवासी जनजाति लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने ।
- नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने ।
- सामाजिक रूपले पछाडि परेका, आदिवासी, आदिवासी जनजाति समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
- राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड दिने,
- समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने ।
- देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने ।
- आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- आदिवासी जनजातिसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने ।
- आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने ।
- राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
- राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी आधारमा गर्ने ।

- संवैधानिक निकायको रुपमा नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहने ।
- नेपाली सेनामा आदिवासी जनजाति समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
- नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
- संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।

४.५ पिछडा वर्गको अधिकार सम्बन्धमा

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका पिछडा वर्ग लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- सामाजिक रूपले पछाडि परेका पिछडा वर्ग समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
- पिछडा वर्ग समेतको हक अधिकारको संरक्षणका लागि संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था ।
- नेपाली सेनामा पिछडा वर्ग समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
- नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
- संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।

४.६ सीमान्तीकृत समुदायको अधिकार सम्बन्धमा

- राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा मानव विकासको स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदायलाई सीमान्तीकृत समुदायको रुपमा परिभाषा गरिएको ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका सीमान्तीकृत समुदाय लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- सामाजिक रूपले पछाडि परेका सीमान्तीकृत समुदाय समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
- उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।

- सीमान्तीकृत समुदाय समेतको हक अधिकारको संरक्षण गर्न संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था ।
- नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
- संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।

४.७ अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सम्बन्धमा

- निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहलाई अल्पसंख्यकको रुपमा परिभाषा गरिएको ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका अल्पसंख्यक लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- सामाजिक रूपले पछाडि परेका अल्पसंख्यक समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
- आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गरिने ।
- उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गरिने ।
- सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गरिने ।
- राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुने सुनिश्चित गरिएको ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
- गाउँ कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य हुने सुनिश्चित गरिएको ।
- नगर कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्य हुने सुनिश्चित गरिएको ।
- जिल्ला समन्वय समितिमा दलित वा अल्पसंख्यकबाट जिल्ला सभाले निर्वाचित गरेको कम्तीमा एक जना सदस्य हुने सुनिश्चित गरिएको ।
- अल्पसंख्यक समुदाय समेतको हक अधिकारको संरक्षण गर्न संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था ।
- नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
- संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।

४.८ थारुको अधिकार सम्बन्धमा

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य गर्ने ।
- समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
- सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका थारू लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।

- नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने ।
- नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने ।
- सामाजिक रूपले पछाडि परेका थारु समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने ।
- संवैधानिक निकायको रुपमा एक थारु आयोगको व्यवस्था गरिएको ।
- राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
- राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी आधारमा गर्ने ।
- संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको ।
- नेपाली सेनामा थारु समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
- नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
- संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
- जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान राख्दै कार्य गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने ।

४.९ मुस्लिमको अधिकार सम्बन्धमा

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य गर्ने ।
- समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
- सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका मुस्लिम लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने ।
- नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने ।
- सामाजिक रूपले पछाडि परेका मुस्लिम समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
- मुस्लिम समुदाय समेतलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- संवैधानिक निकायको रुपमा एक मुस्लिम आयोग रहने ।
- राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
- राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी आधारमा गर्ने ।
- नेपाली सेनामा मुस्लिम समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।

- नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
- संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
- जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान राख्दै कार्य गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने ।

४.१० अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
- सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने राज्यको सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति हुने ।
- सामान्य कानूनको प्रयोगमा शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका, अपांगता भएका व्यक्ति, लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने ।
- दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने ।
- सामाजिक रूपले पछाडि परेका अपांगता भएका व्यक्ति समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
- अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने ।
- आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, अपांगता भएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने ।
- राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुने सुनिश्चित गरिएको ।
- अपांगता भएका व्यक्ति समेतको हक अधिकारको संरक्षण, सशक्तिकरण, विकास र सम्वृद्धिको लागि संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको ।
- नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
- संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

संविधानके मूलभूत प्रावधानः संक्षिप्त चिन्हारी

१. नेपालके संविधानमे आत्मसात करल मूल्य, मान्यता आर सिद्धान्त

- नेपालके स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता आर स्वाभिमानक्या अक्षुण्ण राखना ।
- जनताके सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता आर स्वशासनके अधिकारक्या आत्मसात करना ।
- राष्ट्रहित, लोकतन्त्र आर अग्रगामी परिवर्तनको लग्ना भेल ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग आर बलिदानके स्मरण करतहै शहीद हे बेपत्ता आर पीडित नागरिक प्रति सम्मान प्रकट ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताक्या आत्मसात करतहै विविधताबीचके एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता आर सद्भावके संरक्षण एवं प्रवर्द्धन ।
- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद आर सभे प्रकारके जातीय छुवाछूतके खतम करिके आर्थिक समानता हे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेलग्ना समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण ।
- जनताके प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष आर सक्षम न्यायपालिका हे कानूनी राज्यके अवधारणामे आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहीके समृद्ध राष्ट्र निर्माण करेलग्ना प्रतिवद्धता ।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाके माध्यमसे दिगो शान्ति, सुशासन, विकास आर समृद्धि करेके उद्देश्य ।

२. प्रारम्भिक व्यवस्था

- सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतासे जारी करल संविधान नेपालके मूल कानून हेते ।
- संविधानसे बाझल कानून बाझल हदतक अमान्य हेते ।
- संविधानके पालना करना प्रत्येक व्यक्तिके कर्तव्य हेते ।
- नेपालके सार्वभौमसत्ता आर राजकीयसत्ता नेपाली जनतामे निहित रहते ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामे रहल समान आकांक्षा आर नेपालके राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रहीके एकताके सूत्रमे आबद्ध राष्ट्रके रुपमे रहते ।
- नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हेते ।
- नेपालमे बोलल जैवाला सभै मातृभाषासब राष्ट्रभाषाके रुपमे रहते ।
- देवनागरी लिपिमे लिखिल जैवाला नेपाली भाषा नेपालके सरकारी कामकाजके भाषा हेते ।
- नेपाली भाषाके अतिरिक्त प्रदेश आपन प्रदेशभितर बहुसंख्यक जनतासे बोलल जैवाला आन राष्ट्रभाषाके प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशके सरकारी कामकाजके भाषा निर्धारण करल ज्या साकते ।

३. नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान

- कुनु भी नेपाली नागरिक नागरिकता प्रापत करैवाला हकसे वञ्चित नय हेते ।

- प्रादेशिक पहिचान सहितके एकल संघीय नागरिकताके व्यवस्था करल जेते ।
- संविधान प्रारम्भ हेल बखत नेपालके नागरिकता प्रापत करल व्यक्ति नेपालके नागरिक हेते ।
- वंशजके आधारमे नेपालके नागरिकता प्रापत करैवाला व्यक्ति निजके पिता या माताके नामसे लैङ्गिक पहिचान सहितके नागरिकताके प्रमाणपत्र पैते ।
- नागरिकके परिचय खुलैके हिसाबसे अभिलेख राखल जेते ।
- नेपाली नागरिकताके प्रापत हैवाला अवस्था :-

१. वंशज

- o संविधान प्रारम्भ हेसे पहिना वंशजके नागरिकता प्राप्त करल व्यक्ति,
- o जन्म हैबखत कुनु व्यक्तिके बाप वा म्या नेपालके नागरिक रहल अवस्थामे वोन व्यक्ति,
- o संविधान प्रारम्भ हैसे पहिना बाप आर म्या दुवोझन जनमके आधारमे नेपालके नागरिकता प्रापत करलके सन्तान बालिग हेलाके वाद,
- o नेपालभितर फेला परल पितृत्व आर मातृत्वके ठेगान नय हेल नाबालक निजके बाप वा म्या फेला नय परैतक,
- o नेपालके नागरिक म्यासे नेपालमे जन्मभ्याके नेपालमे हीं बसोबास करले आर बापके पहिचान नय हेल व्यक्ति,

  मगर बाप विदेशी नागरिक ठहरलापर संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामे परिणत हेते,
- o विदेशी नागरिकसे विवाह करल नेपाली महिला नागरिकसे जनमभेल, निज नेपालमे हीं स्थायी बसोबास करिरहल निज विदेशी मुलुकके नागरिकता प्रापत नय करलापर र नागरिकता प्रापत करैके बखत निजके म्या आर बाप दुवो नेपाली नागरिक छेझन त नेपालमे जन्मल वोन व्यक्ति ।

२. अंगिकृत नागरिकता

क. विदेशी नागरिक संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रापत करे साकते ।

ख. वैवाहिक अंगिकृत

- o नेपाली नागरिकसे वैवाहिक सम्बन्ध कायम करलाह विदेशी महिला संघीय कानून बमोजिम,
- o विदेशी नागरिकसे विवाह करल नेपाली नागरिकसे जन्मल, नेपालमे हीं स्थायी बसोवास करिरहल आर विदेशी नागरिकता प्रापत नय करलाह व्यक्ति संघीय कानून बमोजिम

  मगर नागरिकता प्रापत करैके बखत म्या आर बाप दुवो नेपाली नागरिक रहलापर वंशजके आधारमे नेपाली नागरिकता प्रापत करना ।

३. सम्मानार्थ नागरिकता

- o संघीय कानून बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान करल ज्यासाकते ।

४. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता

- o विदेशी मुलुकके नागरिकता प्रापत करल, सार्क बाहेकके मुलुकमे बसोबास करल, साविकमे वंशज वा जन्मके आधारमे निज वा निजके बाप वा म्या, दादा वा दादी नेपालके नागरिक रहैके वाद विदेशी नागरिकता प्रापत करलाह व्यक्ति
- o संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक आर सांस्कृतिक अधिकार उपभोग करैला पैते

५. नेपालमे गाभल क्षेत्रमे बसोबास करैवाला व्यक्तिके नागरिकता

- o नेपालभितर गाभल जैवाला कुन क्षेत्र प्रापत हेलापर वोन क्षेत्रभितर बसोबास करैवाला व्यक्ति संघीय कानूनके अधीनमे रहीके नेपालके नागरिक हेते ।

४. समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी

नेपालके संविधान सभेके लागिन सम्मानपूर्वक बाचैपावैके हक, स्वतन्त्रताके हक, समानताके हक, सञ्चारके हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितके हक, यातना विरुद्धके हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धके हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धके हक, सम्पत्तिके हक, धार्मिक स्वतन्त्रताके हक, सूचनाके हक, गोपनीयताके हक, शोषण विरुद्धके हक, स्वच्छ वातावरणके हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिके हक, रोजगारीके हक, श्रमके हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासके हक, महिलाके हक, बालबालिकाके हक, दलितके हक, ज्येष्ठ नागरिकके हक, सामाजिक न्यायके हक, सामाजिक सुरक्षाके हक, उपभोक्ताके हक, देश निकाला विरुद्धके हक, संवैधानिक उपचारके हकक्या मौलिक हकके रुपमे स्थापित करल गेल छे । साथै, संवैधानिक निकायके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था करल गेल छे ।
येकर अतिरिक्त, महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, सीमान्तीकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, अपांगता भेल व्यक्ति, थारु आर मुस्लिमके सम्बन्धमे आर अधिकार देहाय बमोजिम रहल छे:

४.१ महिलाके अधिकार सम्बन्धमे

- समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना
- लैंगिक विभेद अन्त्य करना ।
- म्याके नामसे नागरिकता प्राप्त करल ज्यासकते लगायतके नागरिकता सम्बन्धी विषय उपर नागरिकताके शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख करल बमोजिम होना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग या आर कुनु आधारमे भेदभाव नय करल जेते ।
- सामाजिक आर सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल महिला लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- महिलाक्या लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक होना ।
- महिलाक्या सुरक्षित मातृत्व आर प्रजनन स्वास्थ्यके हक होना ।
- महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन या आर कुनु आधारमे शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक या आर कुनु किसिमके हिंसाजन्य कार्य या शोषण नय करल जेते आर येन कार्य दण्डनीय हेते तथा पीडित क्षतिपूर्ति पैते ।
- राज्यके सभे निकायमे महिलाके समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तके आधारमे सहभागीता रहते ।
- महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आर सामाजिक सुरक्षामे सकारात्मक विभेदके आधारमे विशेष अवसर प्राप्त करते ।
- सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामे दम्पतीके समान हक हेते ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि पारल महिला, समेत समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हैला पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- आर्थिक रूपसे विपन्न, अशक्त आर असहाय अवस्थामे रहल, असहाय एकल महिला समेत सामाजिक सुरक्षा पावैके हक हेते ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकारके मूल्य आर मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित करैके राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हेते ।
- असहाय अवस्थामे रहल एकल महिलाक्या सीप, क्षमता आर योग्यताके आधारमे रोजगारीमे प्राथमिकता देतैह जीविकोपार्जनके लागिन समुचित व्यवस करते ।
- जोखिममे परल, सामाजिक आर पारिवारिक बहिष्करणमे परल तथा हिंसा पीडित महिलाक्या पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण करीके स्वावलम्बी बनाना ।
- प्रजनन अवस्थामे आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगके सुनिश्चितता करना ।
- बालबच्चाके पालन पोषण, परिवारके हेरचाह जोखा काम आर योगदानक्या आर्थिक रूपमे मूल्यांकन करना ।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीसवके पहिचान करीकया बसोबासके लागिन घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनके लागिन कृषियोग्य जमीन या रोजगारीके व्यवस्था करीके पुनःस्थापना करना ।
- आर्थिक रूपसे विपन्नक्या प्राथमिकता प्रदान करना ।

- राज्यके संरचना करैखिना समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आर पहिचानके संरक्षण करना ।
- राष्ट्रपति आर उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग या समुदायके हेते ।
- प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनमे समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीके लागिन उम्मेदवारी देवेखिना महिलाक्या समेत समावेश करीके बन्दसूची तयार करना ।
- संघीय संसद आर प्रदेश सभामे निर्वाचित भेल कुल सदस्यके कम्तीमे एक तिहाइ महिला सदस्य हैके हिसावसे सुनिश्चित करल गेल छे ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे तीन झन महिला निर्वाचित हेते आर मनोनीत करैखिना कम्तीमे एक झन महिला समावेश करे पडते ।
- प्रतिनिधि सभाके सभामुख आर उपसभामुखमध्ये एक झन आर राष्ट्रिय सभाके अध्यक्ष आर उपाध्यक्षमध्ये एक झन महिला हेते ।
- प्रदेश सभामुख या प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक झन महिला हेते ।
- गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामे चार झन महिला सदस्य रहते ।
- जिल्ला समन्वय समितिमे कम्तीमे तीनझन महिला रहते ।
- गाउँपालिका आर नगरपालिकाके प्रत्येक वडासे कम्तीमे दुईझन महिलाके प्रतिनिधित्व हैके हिसावसे गाउँसभा आर नगरसभाके गठन हेते ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायके रुपमे रहते आर वोकर अध्यक्ष आर सदस्यसब महिला मात्र रहते ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशमे कार्यालय स्थापना करल ज्या साकते ।
- नेपाली सेनामे महिलाके समेतके प्रवेश समानता आर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करल जेते ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक निकाय आर आन निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।

४.२ दलितके अधिकार सम्बन्धमे

- सभे प्रकारके जातीय छुवाछूतके अन्त्य करना ।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करैवाला राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हेते ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति या आन कुनु आधारमे भेदभाव नय करल जेते ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल महिला, दलित, लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लग्ना कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- कुनु व्यक्तिक्या उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय या शारीरिक अवस्थाके आधारमे कुनु निजी तथा सार्वजनिक स्थानमे कुनु प्रकारके छुवाछूत या भेदभाव नय करल जेते ।
- कुनु वस्तु, सेवा या सुविधा उत्पादन या वितरण करैखिना वोन वस्तु, सेवा या सुविधा कुनु खास जात या जातिके व्यक्तिक्या खरीद या प्राप्त करैसे रोक लगैल जेते या वोन वस्तु, सेवा या सुविधा कुनु खास जात या जातिके व्यक्तिक्या मात्र बिक्री वितरण या प्रदान नय करल जेते ।
- उत्पत्ति, जात, जाति या शारीरिक अवस्थाके आधारमे कुनु व्यक्ति या समुदायक्या उच्च या नीच दर्शावेवाला, जात, जाति या छुवाछूतके आधारमे सामाजिक भेदभावक्या न्यायोचित ठानैवाला या छुवाछूत तथा जातीय उच्चता या घृणामे आधारित विचारके प्रचार प्रसार करना या जातीय विभेदक्या कुनु किसिमसे प्रोत्साहन करैला नय पैते ।
- जातीय आधारमे छुवाछूत करीके या नय करीके कार्यस्थलमे कुनु प्रकारके भेदभाव करैला नय पैते ।
- सभै प्रकारके छुवाछूत तथा भेदभाव जान कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधके रूपमे दण्डनीय हेते आर पीडित क्षतिपूर्ति पैते ।
- दलित राज्यके सभै निकायमे समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तके आधारमे सहभागी हैला पैते ।
- दलित समुदाय आपन परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप आर प्रविधिके प्रयोग, संरक्षण आर विकास करैला पैते ।
- सार्वजनिक सेवा लगायतके रोजगारीके आन क्षेत्रमे दलित समुदायके सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व आर सहभागिताको लागिन विशेष व्यवस्था करल जेते ।
- दलित विद्यार्थीक्या प्राथमिकसे उच्च शिक्षातक छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाके व्यवस्था करल जेते ।

- प्राविधिक आर व्यावसायिक उच्च शिक्षामे दलितके लागिन विशेष व्यवस्था करल जेते ।
- दलित समुदायक्या स्वास्थ्य आर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेला विशेष व्यवस्था करल जेते ।
- दलित समुदायके परम्परागत पेशासे सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमे उसवक्या प्राथमिकता देतैह वोकर लागिन आवश्यक परेवाला सीप आर स्रोत उपलब्ध करैल जेते ।
- भूमिहीन दलितक्या एकदाफ जमीन उपलब्ध करैल जेते आर आवासविहीन दलितक्या बसोबासके व्यवस्था करल जेते ।
- दलित समुदायक्या प्राप्त सुविधा दलित महिला, पुरुष आर सभै समुदायके दलित समानुपातिक रूपमे पावैके हिसावसे न्यायोचित वितरण करल जेते ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि परल महिला, दलित समेत समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागि हावे पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारके नाममे हावैवाला सभै प्रकारके विभेद, असमानता, शोषण आर अन्यायके अन्त्य करना ।
- हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीसवके पहिचान करीके बसोबासके लागिन घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनके लागिन कृषियोग्य जमीन या रोजगारीके व्यवस्था करीके पुनःस्थापना करना ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना ।
- सामाजिक सुरक्षा आर सामाजिक न्याय प्रदान करैखिना सभै लिंग, क्षेत्र आर समुदायभित्रके आर्थिक रूपसे विपन्नक्र्या प्राथमिकता प्रदान करना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावैवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनके लागिन राजनीतिक दल उम्मेदवारी देवैखिना समावेशी सिद्धान्तके आधारमा करना ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे एक झन दलित निर्वाचित करैला पडते ।
- गाउँ कार्यपालिकामे दलित या अल्पसंख्यक समुदायसे गाउँ सभाद्वारा निर्वाचित हेल दुईझन सदस्य रहते ।
- नगर कार्यपालिकामे दलित या अल्पसंख्यक समुदायसे नगर सभाद्वारा निर्वाचित हेल तीनझन सदस्य रहते ।
- जिल्ला समन्वय समितिमे दलित या अल्पसंख्यकसे जिल्ला सभाद्वारा निर्वाचित हेल कम्तीमे एक झन सदस्य रहते ।
- राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकायके रुपमे रहते आर तकर अध्यक्ष आर सदस्यसव दलित मात्र रहते ।
- राष्ट्रिय दलित आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशमे कार्यालय स्थापना करैला सकते ।
- नेपाली सेनामे दलित समेतके प्रवेश समानता आर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करल जेते ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।

४.३ मधेशीके अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करैवाला राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हेते ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करैला समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, या आन कुनु आधारमे भेदभाव नय करल जेते ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल मधेशी लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- नेपालमे बसोबास करैवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या कानून बमोजिम आपन मातृभाषामे शिक्षा पावैके आर वोकर लागिन विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलैके आर सञ्चालन करैके हक हेते ।
- नेपालमे बसोबास करैवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आर सम्पदाके संवर्धन आर संरक्षण करैके हक हेते ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि पडल मधेशी समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हावे पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।

- समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारके नाममे हावैवाला सभै प्रकारके विभेद, असमानता, शोषण आर अन्यायके अन्त्य करना ।
- मधेशीक्या आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आर लाभके समान वितरण तथा वोन समुदायभितरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आर विकासके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना ।
- हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीसवके पहिचान करीके बसोबासके लागिन घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनके लागिन कृषियोग्य जमीन या रोजगारीके व्यवस्था करिके पुनःस्थापना करना ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना ।
- सामाजिक सुरक्षा आर सामाजिक न्याय प्रदान करैखिना सभै लिंग, क्षेत्र आर समुदायभितरके आर्थिक रूपसे विपन्नक्या प्राथमिकता प्रदान करना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावैवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनके लागिन राजनीतिक दल उम्मेदवारी दैवेखिना समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करना ।
- संवैधानिक निकायके रुपमे नेपालमे एक मधेशी आयोग रहते ।
- नेपाली सेनामे मधेशी समेतके प्रवेश समानता आर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करल जेते ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- सवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।

४.४ आदिवासी जनजातिके अधिकार सम्बन्धमे

- समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना ।
- जातिय, क्षेत्रीय आर भाषिक विभेदके अन्त्य करना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति या आन कुनु आधारमे भेदभाव नय करल जेते,
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल आदिवासी, आदिवासी जनजाति लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- नेपालमे बसोबास करैवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या कानून बमोजिम आपन मातृभाषामे शिक्षा पावैके आर वोकर लागिन विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलेके आर सञ्चालन करैके हक हेते ।
- नेपालमे बसोबास करैवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आर सम्पदाके संवर्द्धन आर संरक्षण करैके हक हेते ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि परल, आदिवासी, आदिवासी जनजाति समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हावे पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- राष्ट्रिय सम्पदाके रूपमे रहल कला, साहित्य आर सङ्गीतके विकासमे जोड देना,
- समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारके नाममे हावैवाला सभै प्रकारके विभेद, असमानता, शोषण आर अन्यायके अन्त्य करना ।
- देशके सांस्कृतिक विविधता कायम राख्तहै समानता एवं सहअस्तित्वके आधारमे विभिन्न जातजाति आर समुदायके भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र आर सम्पदाके संरक्षण आर विकास करना ।
- आदिवासी जनजातिके पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँचे पावैके अधिकार सुनिश्चित करैला अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना ।
- आदिवासी जनजातिसँगे सरोकार राखेवाला निर्णयसवमे सहभागी कराना ।
- आदिवासी जनजाति आर स्थानीय समुदायके परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवके संरक्षण आर संवर्द्धन करना ।
- राज्यके संरचना करैखिना समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आर पहिचानके संरक्षण करना ।
- राष्ट्रपति आर उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग या समुदायके हेते ।

- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावैवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनके लागिन राजनीतिक दलसे उम्मेदवारी देवैखिना समावेशी आधारमे करना ।
- संवैधानिक निकायके रुपमे नेपालमे एक आदिवासी जनजाति आयोग रहते ।
- नेपाली सेनामे आदिवासी जनजाति समेतके प्रवेश समानता आर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करल जेते ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।

४.५ पिछडा वर्गके अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हेते ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करैला समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल पिछडा वर्ग लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि परल पिछडा वर्ग समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी है पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आर लाभके समान वितरण तथा वोन समुदायभितरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आर विकासके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना ।
- सामाजिक सुरक्षा आर सामाजिक न्याय प्रदान करैखिना सभै लिंग, क्षेत्र आर समुदायभितरके आर्थिक रूपसे विपन्नक्या प्राथमिकता प्रदान करना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावैवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनको लागिन राजनीतिक दलसे उम्मेदवारी दैवेबखत समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करना ।
- पिछडा वर्ग समेतके हक अधिकारके संरक्षणके लागिन संवैधानिक आयोगके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था ।
- नेपाली सेनामे पिछडा वर्ग समेतके प्रवेश समानता आर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करल जेते ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।

४.६ सीमान्तीकृत समुदायके अधिकार सम्बन्धमे

- राजनीतिक, आर्थिक आर सामाजिक रूपसे पछाडि पारल, विभेद आर उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताके कारणसे सेवा सुविधाके उपभोग करैला नय साकेवाला या मानव विकासके स्तरसे न्यून स्थितिमे रहल समुदायक्या सीमान्तीकृत समुदायके रुपमे परिभाषा करल गेल छे ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करैला समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडिपारल सीमान्तीकृत समुदाय लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि परल सीमान्तीकृत समुदाय समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हावै पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना ।

- सामाजिक सुरक्षा आर सामाजिक न्याय प्रदान करैखिना सभै लिंग, क्षेत्र आर समुदायभितरके आर्थिक रूपसे विपन्नक्या प्राथमिकता प्रदान करना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावैवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनके लागिन राजनीतिक दलसे उम्मेदवारी दैवेखिना समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करना ।
- सीमान्तीकृत समुदाय समेतके हक अधिकारके संरक्षण करैला संवैधानिक आयोगके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।

४.७ अल्पसंख्यक समुदायके अधिकार सम्बन्धमे

- निर्धारित प्रतिशतसे कम जनसंख्या रहल जातीय, भाषिक आर धार्मिक समूहक्या अल्पसंख्यकके रुपमे परिभाषा करल गेल छे ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेला समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछाडिपरल अल्पसंख्यक लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि परल अल्पसंख्यक समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हैला पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- आपन पहिचान कायम राखीके सामाजिक आर सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करल जेते ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करल जेते ।
- सामाजिक सुरक्षा आर सामाजिक न्याय प्रदान करैखिना सभै लिंग, क्षेत्र आर समुदायभित्रके आर्थिक रूपसे विपन्नक्या प्राथमिकता प्रदान करल जेते ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे एक झन अपांगता हेल व्यक्ति या अल्पसंख्यक निर्वाचित हैकेबात सुनिश्चित करल गेल छे ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावैवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनके लागिन राजनीतिक दलसे उम्मेदवारी देवैखिना समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करना ।
- गाउँ कार्यपालिकामे दलित या अल्पसंख्यक समुदायसे गाउँ सभासे निर्वाचित करल दुईझन सदस्य हैकेबात सुनिश्चित करल गेल छे ।
- नगर कार्यपालिकामे दलित या अल्पसंख्यक समुदायसे नगर सभाद्वारा निर्वाचित करल तीनझन सदस्य हैकेबात सुनिश्चित करल गेल छे ।
- जिल्ला समन्वय समितिमे दलित या अल्पसंख्यकसे जिल्ला सभाद्वारा निर्वाचित करल कम्तीमे एक झन सदस्य हैकेबात सुनिश्चित करल गेल छे ।
- अल्पसंख्यक समुदाय समेतके हक अधिकारके संरक्षण करैला संवैधानिक आयोगके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था छे ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।

४.८ थारुके अधिकार सम्बन्धमे

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य करना ।
- समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना ।

- मौलिक हक तथा मानव अधिकारके मूल्य आर मान्यता सुनिश्चित करना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हेते ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा या क्षेत्र, वैचारिक आस्था या आन कुनु आधारमे भेदभाव नय करल जेते ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल थारू लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- नेपालमे बसोबास करैवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या कानून बमोजिम आपन मातृभाषामे शिक्षा पावैके हे वोकर लागिन विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलैके आर सञ्चालन करैके हक हेते ।
- नेपालमे बसोबास करैवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आर सम्पदाके संवर्द्धन आर संरक्षण करैके हक हेते ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि परल थारु समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हावे पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीसबके पहिचान करीके बसोबासके लागिन घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनके लागिन कृषियोग्य जमीन या रोजगारीके व्यवस्था करतहै पुनःस्थापना करल जेते ।
- संवैधानिक निकायके रुपमे एक थारु आयोगके व्यवस्था करल गेल छे ।
- राज्यके संरचना करैखिना समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आर पहिचानके संरक्षण करना ।
- राष्ट्रपति आर उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग या समुदायके हेते ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावैवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनके लागिन राजनीतिक दलसे उम्मेदवारी देवैखिना समावेशी आधारमे करना ।
- संवैधानिक आयोगके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था करल गेल छे ।
- नेपाली सेनामे थारु समेतके प्रवेश समानता आर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करल जेते ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- जनसंख्याके घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातके सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षक्या समेत ध्यान राख्तहै कार्य करैके लागिन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हेते ।

४.९ <u>मुस्लिमके अधिकार सम्बन्धमे</u>

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य करना ।
- समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकारके मूल्य आर मान्यता सुनिश्चित करना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हेते ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा या क्षेत्र, वैचारिक आस्था या आन कुनु आधारमे भेदभाव नय करल जेते ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल मुस्लिम लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- नेपालमे बसोबास करैवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या कानून बमोजिम आपन मातृभाषामे शिक्षा पावैके आर वोकर लागिन विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलैके हे सञ्चालन करैके हक हेते ।
- नेपालमे बसोबास करैवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आर सम्पदाके संवर्द्धन आर संरक्षण करैके हक हेते ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि परल मुस्लिम समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हावे पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- मुस्लिम समुदाय समेतक्या आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आर लाभके समान वितरण तथा वोन समुदायभित्रके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आर विकासके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना ।
- संवैधानिक निकायके रुपमे एक मुस्लिम आयोग रहते ।

- राज्यके संरचना करैखिना समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आर पहिचानके संरक्षण करना ।
- राष्ट्रपति आर उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग या समुदायके हेते ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावेवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनके लागिन राजनीतिक दलसे उम्मेदवारी देवेबखत समावेशी आधारमे करना ।
- नेपाली सेनामे मुस्लिम समेतके प्रवेश समानता आर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करल जेते ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- जनसंख्याके घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातके सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षक्या समेत ध्यान राख्तहै कार्य करैके लागिन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हेते ।

४.१० अपांगता हेल व्यक्तिके अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हेते ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करैला समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना ।
- सामाजिक सुरक्षा आर सामाजिक न्याय प्रदान करैखिना सबै लिंग, क्षेत्र आर समुदायभित्रके आर्थिक रूपसे विपन्नक्या प्राथमिकता प्रदान करैला राज्यके सामाजिक न्याय आर समावेशीकरण सम्बन्धी नीति हेते ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, या येन्हिये आन कुनु आधारमे भेदभाव नय करल जेते ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल, अपांगता हेल व्यक्ति, लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- अपांगता हेल आर आर्थिक रूपसे विपन्न नागरिकक्र्या कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पावैके हक हेते ।
- दृष्टिविहीन नागरिकक्या ब्रेललिपि तथा बहिरा आर स्वर या बोलाइ सम्बन्धी अपांगता हेल नागरिकक्या सांकेतिक भाषाके माध्यमसे कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पावैके हक हेते ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि परल अपांगता हेल व्यक्ति समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हावे पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- अपांगता हेल नागरिकक्या विविधताके पहिचान सहित मर्यादा आर आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन करैला पावैके आर सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामे समान पहुँचके हक हेते ।
- आर्थिक रूपसे विपन्न, अशक्त आर असहाय अवस्थामे रहल, अपांगता हेल नागरिकक्या सामाजिक सुरक्षाके हक हेते ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे एक झन अपांगता हेल व्यक्ति या अल्पसंख्यक निर्वाचित हावैके बात सुनिश्चित करल गेल छे ।
- अपांगता हेल व्यक्ति समेतके हक अधिकारके संरक्षण, सशक्तिकरण, विकास आर सम्वृद्धिके लागिन संवैधानिक आयोगके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था करल गेल छे ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
संविधानक मूलभूत प्रावधानः संक्षिप्त चिनारी
१. नेपालक संविधानद्वारा आत्मसात कएल मूल्य, मान्यता आ सिद्धान्त

- नेपालक स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता आ स्वाभिमानके अक्षुण्ण रखबाक ।
- जनताक सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता आ स्वशासनक अधिकारके आत्मसात कएलगेल ।
- राष्ट्रहित, लोकतन्त्र आ अग्रगामी परिवर्तनक लेल भेल ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग आ बलिदानक स्मरण करैत शहीद तथा बेपत्ता आ पीडित नागरिक प्रति सम्मान प्रकट ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताके आत्मसात करैत विविधताबीचके एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता आ सद्भावक संरक्षण एवं प्रवर्धन ।
- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद आ सबतरहक जातीय छुवाछूतके अन्त्य कऽ आर्थिक समानता आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबालेल समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण ।
- जनताक प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष आ सक्षम न्यायपालिका आ कानूनी राज्यक अवधारणामे आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहैत समृद्ध राष्ट्र निर्माण करबाक प्रतिबद्धता ।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाक माध्यमद्वारा शान्ति, सुशासन, विकास आ समृद्धि करबाक उद्देश्य ।

२. प्रारम्भिक व्यवस्था

- सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतासँ जारी भेल संविधान नेपालक मूल कानून अछि ।
- संविधानसँ बाझल कानून जाहि हदधरि बाझत तत्तऽधरि अमान्य हएत ।
- संविधानक पालना करब प्रत्येक व्यक्तिक कर्तव्य हएत ।
- नेपालक सार्वभौमसत्ता आ राजकीयसत्ता नेपाली जनतामे निहित रहल अछि ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामे रहल समान आकांक्षा आ नेपालक राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रहैत एकताक सूत्रमे आबद्ध राष्ट्रक रुपमे रहत ।
- नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद दिश बढैत, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य अछि ।
- नेपालमे बाजल जायबला सब मातृभाषासब राष्ट्रभाषाक रुपमे रहत ।
- देवनागरी लिपिमे लिखल जायबला नेपाली भाषा नेपालक सरकारी कामकाजक भाषा अछि ।
- नेपाली भाषाक अतिरिक्त प्रदेश अपन प्रदेशभितर बहुसंख्यक जनता जे भाषा बजैत अछि तेहन राष्ट्रभाषाके प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशक सरकारी कामकाजके भाषा निर्धारण करऽसकत ।

३. नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान

- कोनो नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त करबाक हकसँ वञ्चित नईं हएत ।
- प्रादेशिक पहिचान सहितके एकल संघीय नागरिकताक व्यवस्था कएलगेल ।
- संविधान प्रारम्भ भेल समयमे नेपालक नागरिकता प्राप्त केनिहार व्यक्ति नेपालक नागरिक हएत ।
- वंशजक आधारमे नेपालक नागरिकता प्राप्त केनिहार व्यक्ति हुनक बाबु वा मायक नामसँ लैङ्गिक पहिचानसहितक नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त करत ।
- नागरिकके परिचय बुझाए तेनाकऽ अभिलेख राखल जायत ।
- नेपाली नागरिकता प्राप्त हेबाक अवस्था :-

१. वंशज

- संविधान प्रारम्भ होबऽसँ पहिने वंशज नागरिकता प्राप्त केनिहार व्यक्ति,
- जन्म भेलापर कोनो व्यक्तिक बाबु वा माय नेपालक नागरिक रहल अवस्थामे तेहन व्यक्ति,
- संविधान प्रारम्भ होबऽसँ पहिने बाबु आ माय दुनू जन्मक आधारमे नेपालक नागरिकता प्राप्त कएने सन्तान बालिग भेलाक बाद,
- नेपालभितर भेटल पितृत्व आ मातृत्वक ठेकान नईं भेल नाबालक हुनक बाबु वा माय नईं भेटत ताधरि,
- नेपालक नागरिक मायसँ नेपालमे जन्मभऽकऽ नेपालेमे रहैत आएल आ बाबुक पहिचान नईं होबऽसकल व्यक्ति,
  मुदा बाबु विदेशी नागरिक रहल प्रमाणित भेलापर संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामे परिणत हएत,
- विदेशी नागरिकसँ वियाह कएनिहारि नेपाली महिला नागरिकसँ जन्मल, नेपालमे स्थायी बसोबास करैत विदेशक नागरिकता प्राप्त नईं केनिहार आ नागरिकता प्राप्त करैतकाल हुनक माय आ बाबु दुनू नेपाली नागरिक छथि तहन नेपालमे जन्मल तेहन व्यक्ति ।

२. अंगिकृत नागरिकता

क. विदेशी नागरिक संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त कऽ सकत ।

ख. वैवाहिक अंगिकृत

- नेपाली नागरिकसँ वैवाहिक सम्बन्ध कायम केनिहारि विदेशी महिला संघीय कानून बमोजिम,
- विदेशी नागरिकसँग विवाह केनिहारि नेपाली नागरिकसँ जन्मिल, नेपालमे स्थायी रुपसँ रहैत आएल आ विदेशी नागरिकता प्राप्त नईं केनिहार व्यक्ति संघीय कानून बमोजिम
  मुदा नागरिकता प्राप्त करैत समयमे माय आ बाबु दुनू नेपाली नागरिक भेलापर वंशजक आधारमे नेपाली नागरिकता प्राप्त करत ।

३. सम्मानार्थ नागरिकता

- संघीय कानून बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान कएल जायत ।

४. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता

- विदेशक नागरिकता प्राप्त केनिहार, सार्क बाहेकके देशमे रहैत आएल, साविकमे वंशज वा जन्मक आधारमे निज वा निजके बाबु वा माय, बाबा वा दादी नेपालक नागरिक रहिक७ बादमे विदेशी नागरिकता प्राप्त केनिहार व्यक्ति
- संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार उपभोग करबाक

५. नेपालमे जोड़ल क्षेत्रमे रहनिहार व्यक्तिक नागरिकता

- नेपालभितर जोडबाजोगर कोनो क्षेत्र प्राप्त भेलापर तेहन क्षेत्रभितर रहैत आएल व्यक्ति संघीय कानूनक अधीनमे रहैत नेपालक नागरिक हएत ।

४. समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी

नेपालक संविधानमे सबहक लेल सम्मानपूर्वक जीबाक हक, स्वतन्त्रताक हक, समानताक हक, सञ्चारक हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितक हक, यातना विरुद्धक हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धक हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धक हक, सम्पत्तिक हक, धार्मिक स्वतन्त्रताक हक, सूचनाक हक, गोपनीयताक हक, शोषण विरुद्धक हक, स्वच्छ वातावरणक हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिक हक, रोजगारीक हक, श्रमक हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासक हक, महिलाक हक, बालबालिकाक हक, दलितक हक, ज्येष्ठ नागरिकक हक, सामाजिक न्यायक हक, सामाजिक सुरक्षाक हक, उपभोक्ताक हक, देश निकाला विरुद्धक हक, संवैधानिक उपचारक हकके मौलिक हकके रुपमे स्थापित कएल गेल अछि । सँगहि, संवैधानिक निकायक रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगक व्यवस्था कएल गेल अछि ।

एहिके अतिरिक्त, महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, सीमान्तीकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, अपांगता भेल व्यक्ति, थारु आ मुस्लिमके सम्बन्धमे अन्य अधिकार एहि तरहे अछि :

४.१ महिलाक अधिकार सम्बन्धमे

- समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक
- लैंगिक विभेद अन्त्य करबाक ।
- मायक नामसँ नागरिकता प्राप्त करबाकसहितके नागरिकता सम्बन्धी विषयउपर नागरिकताक शीर्षक अन्तर्गत लिखल बमोजिम हएत ।
- सामान्य कानूनक प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग वा अन्य कोनो आधारमे भेदभाव नईं कएल जायत ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल महिलासहित नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।
- महिलाके लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हएत ।
- महिलाके सुरक्षित मातृत्व आ प्रजनन स्वास्थ्यक हक हएत ।
- महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कोनो आधारमे शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कोनो तरहक हिंसाजन्य काज वा शोषण नईं कएल जायत आ तेहन काज दण्डनीय हएत तथा पीडितके क्षतिपूर्ति भेटत ।
- राज्यक सब निकायमे महिलाक समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तक आधारमे सहभागीता हएत ।
- महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आ सामाजिक सुरक्षामे सकारात्मक विभेदक आधारमे विशेष अवसर प्राप्त करत ।
- सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामे दम्पतीक समान हक हएत ।
- सामाजिक रूपसँ पाछा परल महिला, सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- आर्थिक रूपसँ गरिब, अशक्त आ असहाय अवस्थामे रहल, असहाय एकल महिलाके सेहो सामाजिक सुरक्षा पाबऽके हक हएत ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकारक मूल्य आ मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित करबाक राज्यक राजनीतिक उद्देश्य हएत ।
- असहाय अवस्थामे रहल एकल महिलाके कला, क्षमता आ योग्यताक आधारमे रोजगारीमे प्राथमिकता दैत जीविकोपार्जनक लेल समुचित व्यवस्था करबाक ।
- संकटमे परल, सामाजिक आ पारिवारिक बहिष्करणमे परल तथा हिंसा पीडित महिलाके पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण कऽ स्वावलम्बी बनएबाक ।
- प्रजनन अवस्थामे आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगक सुनिश्चितता करबाक ।
- बालबच्चाक पालन पोषण, परिवारक रेखदेख जेहन काज आ योगदानके आर्थिक रूपमे मूल्यांकन करबाक ।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीक पहिचान कऽ रहबालेल घर,जमिन तथा जीविकोपार्जनक लेल कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीक व्यवस्था करैत पुनःस्थापना करबाक ।
- आर्थिक रूपसँ विपन्नकें प्राथमिकता प्रदान करबाक ।
- राज्यक संरचना करैतकाल समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहिचानक संरक्षण करबाक ।
- राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति अलग अलग लिंग वा समुदायक हएबाक ।
- प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचनमे समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीक लेल उम्मेदवारी दैतकाल महिलाके सेहो समावेश कऽ बन्दसूची तयार करबाक ।
- संघीय संसद आ प्रदेश सभामे निर्वाचित भेनिहार कुल सदस्यक कम्तीमे एक तिहाइ महिला सदस्य हएत तेनाकऽ सुनिश्चित कएल गेल ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसँ कम्तीमे तीन गोटे महिला निर्वाचित हएबाक आ मनोनीत करैतकाल कम्तीमे एक गोटे महिला समावेश करबाक ।
- प्रतिनिधि सभाक सभामुख आ उपसभामुखमेसँ एक गोटे आ राष्ट्रिय सभाक अध्यक्ष आ उपाध्यक्षमेसँ एक गोटे महिला हएत ।
- प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मेसँ एक गोटे महिला हएत ।
- गाम कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामे चारि गोटे महिला सदस्य रहबाक ।
- जिल्ला समन्वय समितिमे कम्तीमे तीनगोटे महिला रहबाक ।
- गाउँपालिका आ नगरपालिकाके प्रत्येक वार्डसँ कम्तीमे दुगोटे महिलाक प्रतिनिधित्व हुअए तेनाकऽ गाउँसभा आ नगरसभाक गठन हएत ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायक रुपमे रहत आ ताहिके अध्यक्ष आ सदस्यसब महिला मात्र रहत ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशमे कार्यालय स्थापना करऽ सकत ।
- नेपाली सेनामे महिलाके सेहो प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्तक आधारमे कएल जायत ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति कएल जायत ।
- संवैधानिक निकाय आ अन्य निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति कएल जायत ।

४.२ दलितक अधिकार सम्बन्धमे

- सब प्रकारक जातीय छुवाछूतके अन्त करबाक ।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित कएनाई राज्यक राजनीतिक उद्देश्य होएत ।
- सामान्य कानूनक प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति या आन कोनो आधारपर भेदभाव नईं कएलजाएत ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल महिला, दलित, लगायत नागरिकक संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासकलेल कानून अनुसार विशेष व्यवस्था करबाक ।
- कोनो व्यक्तिके उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय या शारीरिक अवस्थाक आधारपर कोनो निजी एवम् सार्वजनिक स्थानमे कोनो प्रकारक छुवाछूत या भेदभाव नईंकएल जाएत ।

- कोनो वस्तु, सेवा या सुविधा उत्पादन या वितरण करैत ओहन वस्तु, सेवा या सुविधा कोनो खास जात या जातिक व्यक्तिके खरीद या प्राप्त करऽसँ रोक लगाएव या ओहन वस्तु, सेवा या सुविधा कोनो खास जात या जातिक व्यक्तिके मात्र बिक्री वितरण या प्रदान नईं कएलजाएत ।
- उत्पत्ति, जात, जाति या शारीरिक अवस्थाक आधारपर कोनो व्यक्ति या समुदायके उच्च या नीच देखएवाक, जात, जाति या छुवाछूतक आधारपर सामाजिक भेदभावके न्यायोचित बुझबला या छुवाछूत एवम् जातीय उच्चता या घृणामे आधारित विचारक प्रचार प्रसार करवाक या जातीय विभेदके कोनो प्रकारसँ प्रोत्साहन करऽ नईं पएवाक ।
- जातीय आधारपर छुवाछूत कऽ या नईं कऽ कार्यस्थलपर कोनो प्रकारक भेदभाव करऽ नईं सकवाक ।
- सब प्रकारक छुवाछूत एवम् भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधक रूपमे दण्डनीय होएवाक आ पीडितद्वारा क्षतिपूर्ति पएवाक ।
- दलित राज्यक सब निकायमे समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तक आधारपर सहभागी होबऽ सकवाक ।

- दलित समुदायसब अपन परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप आ प्रविधिक प्रयोग, संरक्षण आ विकास कऽसकवाक ।
- सार्वजनिक सेवासहितक रोजगारीक अन्य क्षेत्रमे दलित समुदायक सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व आ सहभागिताक लेल विशेष व्यवस्था कएल जायत
    - दलित विद्यार्थीके प्राथमिकसँ उच्च शिक्षाधरि छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाक व्यवस्था कएल जायत ।
    - प्राविधिक आ व्यावसायिक उच्च शिक्षामे दलितक लेल विशेष व्यवस्था कएल जायत ।
    - दलित समुदायके स्वास्थ्य आ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करबालेल विशेष व्यवस्था कएल जायत ।
    - दलित समुदायक परम्परागत पेशासँ सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमे हुनकासभके प्राथमिकता दैत ताहिकेलेल आवश्यक सीप आ स्रोत उपलब्ध कराओल जायत ।
    - भूमिहीन दलितके एकपटक जमीन उपलब्ध कराओल जायत आ आवासविहीन दलितके रहबाक व्यवस्था कएल जायत ।
    - दलित समुदायके प्राप्त सुविधा दलित महिला, पुरुष आ सब समुदायक दलित समानुपातिक रूपमे भेटए तेनाकऽ न्यायोचित वितरण कएल जायत ।
    - सामाजिक रूपसँ पाछा परल, महिला, दलितके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागि हएवाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
    - समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारक नाममे होबऽबला सब तरहक विभेद, असमानता, शोषण आ अन्यायक अन्त्य करबाक ।
    - हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीके पहिचान कऽ रहबाक लेल घर, घरारी तथा जीविकोपार्जनक लेल कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीक व्यवस्था करैत पुनःस्थापना करबाक ।
    - उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रक नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
    - सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करैतकाल सब लिंग, क्षेत्र आ समुदायभितरके आर्थिक रूपसँ विपन्नके प्राथमिकता प्रदान करबाक ।
    - समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होबऽबला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचन लेल राजनीतिक दल उम्मेदवारी दैतकाल समावेशी सिद्धान्तक आधारमे करबाक ।
    - राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसँ कम्तीमे एक गोटे दलितके निर्वाचित करबाक ।
    - गाउँ कार्यपालिकामे दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसँ गाउँ सभासँ निर्वाचित दूगोटे सदस्य रहबाक ।
    - नगर कार्यपालिकामे दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसँ नगर सभाद्वारा निर्वाचित तीनगोटे सदस्य रहबाक ।
    - जिला समन्वय समितिमे दलित वा अल्पसंख्यकसँ जिला सभाद्वारा निर्वाचित कम्तीमे एक गोटे सदस्य रहबाक ।
    - राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकायक रुपमे रहत आ ताहिके अध्यक्ष आ सदस्य दलित मात्र रहत ।
    - राष्ट्रिय दलित आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशमे कार्यालय स्थापना करऽ सकत ।
    - नेपाली सेनामे दलित समेतके प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्तक आधारमे कएल जायत ।
    - नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति हएत ।
    - संवैधानिक अंग आ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति हएत ।

४.३ मधेशीक अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबाक राज्यक राजनीतिक उद्देश्य हएत ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबालेल समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक ।
- सामान्य कानूनक प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति, वा अन्य कोनो आधारमे भेदभाव नईं कएल जायत ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल मधेशीसहित नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।
- नेपालमे रहनिहार प्रत्येक नेपाली समुदायके कानून बमोजिम अपन मातृभाषामे शिक्षा पएवाक आ ताहिके लेल विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलबाक आ सञ्चालन करबाक हक हएत ।
- नेपालमे रहनिहार प्रत्येक नेपाली समुदायके अपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आ सम्पदाक संवर्धन आ संरक्षण करबाक हक हएत ।
- सामाजिक रूपसँ पाछा परल मधेशीके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारक नाममे होबऽबला सब तरहक विभेद, असमानता, शोषण आ अन्यायक अन्त्य करबाक ।
- मधेशीके आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आ लाभक समान वितरण तथा तेहन समुदायभितरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आ विकासक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीक पहिचान कऽ रहबालेल घर, घरारी तथा जीविकोपार्जनक लेल कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीक व्यवस्था करैत पुनःस्थापना करबाक ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करैत काल सब लिंग, क्षेत्र आ समुदायभितरके आर्थिक रूपसँ विपन्नके प्राथमिकता प्रदान करबाक ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होबऽबला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचनक लेल राजनीतिक दलके उम्मेदवारी समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करबाक ।
- संवैधानिक निकायक रुपमे नेपालमे एक मधेशी आयोग रहत ।
- नेपाली सेनामे मधेशीके सहो प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्तक आधारमे हएत ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति हएत ।

- संवैधानिक अंग आ निकायक पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति हएत ।

४.४ आदिवासी जनजातिके अधिकार सम्बन्धमे

- समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक ।
- जातिय, क्षेत्रीय आ भाषिक विभेदक अन्त्य करबाक ।
- सामान्य कानूनक प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति वा अन्य कोनो आधारमे भेदभाव नईं कएल जायत,
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल आदिवासी, आदिवासी जनजातिसहित नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।
- नेपालमे रहनिहार प्रत्येक नेपाली समुदायके कानून बमोजिम अपन मातृभाषामे शिक्षा पएबाक आ ताहिके लेल विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलबाक आ सञ्चालन करबाक हक हएत ।
- नेपालमे बसोबास कएनिहार प्रत्येक नेपाली समुदायके अपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आ सम्पदाक संवर्धन आ संरक्षण करबाक हक हएत ।
- सामाजिक रूपसँ पाछा परल, आदिवासी, आदिवासी जनजातिके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- राष्ट्रिय सम्पदाक रूपमे रहल कला, साहित्य आ सङ्गीतक विकासमे जोड देबाक,
- समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारक नाममे होबऽबला सब तरहक विभेद, असमानता, शोषण आ अन्यायक अन्त्य करबाक ।
- देशके सांस्कृतिक विविधताके यथावत रखैत समानता एवं सहअस्तित्वक आधारमे विभिन्न जातजाति आ समुदायक भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र आ सम्पदाक संरक्षण आ विकास करबाक ।
- आदिवासी जनजातिक पहिचानसहित सम्मानपूर्वक जीबाक अधिकार सुनिश्चित करबाक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- आदिवासी जनजातिसँ सरोकार राखऽबला निर्णयमे सहभागी करएबाक ।
- आदिवासी जनजाति आ स्थानीय समुदायक परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा आ अनुभवके संरक्षण आ संवर्धन करबाक ।
- राज्यक संरचना करैत समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहिचानक संरक्षण करबाक ।
- राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायक हएत ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होबऽबला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचनक लेल राजनीतिक दल उम्मेदवारी दैत काल समावेशी आधारमे करत ।
- संवैधानिक निकायक रुपमे नेपालमे एकटा आदिवासी जनजाति आयोग रहत ।
- नेपाली सेनामे आदिवासी जनजातिके सेहो प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्तक आधारमे हएत ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति हएत ।
- संवैधानिक अंग आ निकायक पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति हएत ।

४.५ पिछडा वर्गक अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबाक राज्यक राजनीतिक उद्देश्य हएत ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबालेल समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल पिछडा वर्गसहित नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।
- सामाजिक रूपसँ पाछा परल पिछडा वर्गके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आ लाभक समान वितरण तथा तेहन समुदायभितरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आ विकासक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करैतकाल सब लिंग, क्षेत्र आ समुदायभितरके आर्थिक रूपसँ विपन्नके प्राथमिकता प्रदान करबाक ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होबऽका प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचनक लेल राजनीतिक दलक उम्मेदवारी समावेशी सिद्धान्तक आधारमे करबाक ।
- पिछडा वर्गके सेहो हक अधिकारक संरक्षणक लेल संवैधानिक आयोगक रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगक व्यवस्था ।
- नेपाली सेनामे पिछडा वर्गके सेहो प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्तक आधारमे करबाक ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति करबाक ।
- संवैधानिक अंग आ निकायक पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति करबाक ।

४.६ सीमान्तीकृत समुदायक अधिकार सम्बन्धमे

- राजनीतिक, आर्थिक आ सामाजिक रूपसँ पाछा पारल, विभेद आ उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताक कारणसँ सेवा सुविधाक उपभोग नईं कऽ सकल वा मानव विकासक स्तरसँ न्यून स्थितिमे रहल समुदायके सीमान्तीकृत समुदायक रुपमे परिभाषा कएलगेल ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबालेल समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल सीमान्तीकृत समुदायसहित नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।

- सामाजिक रूपसँ पाछा परल सीमान्तीकृत समुदायके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रक नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करैतकाल सब लिंग, क्षेत्र आ समुदायभितरके आर्थिक रूपसँ विपन्नके प्राथमिकता प्रदान करबाक ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होबऽबला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचनक लेल राजनीतिक दलक उम्मेदवारी समावेशी सिद्धान्तक आधारमे करबाक ।
- सीमान्तीकृत समुदायके सेहो हक अधिकारक संरक्षण करबालेल संवैधानिक आयोगक रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगक व्यवस्था ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति करबाक ।
- संवैधानिक अंग आ निकायक पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति करबाक ।

४.७ अल्पसंख्यक समुदायक अधिकार सम्बन्धमे

- निर्धारित प्रतिशतसँ कम जनसंख्या रहल जातीय, भाषिक आ धार्मिक समूहके अल्पसंख्यकके रुपमे परिभाषा कएल गेल ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबालेल समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल अल्पसंख्यकसहित नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।
- सामाजिक रूपसँ पाछा परल अल्पसंख्यकके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- अपन पहिचान कायम राइख सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करैतकाल सब लिंग, क्षेत्र आ समुदायभितरके आर्थिक रूपसँ विपन्नके प्राथमिकता प्रदान करबाक ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसँ कम्तीमे एक गोटे अपांगता भेल व्यक्ति वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हएबाक सुनिश्चित कएल गेल ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होबऽबला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचनक लेल राजनीतिक दलक उम्मेदवारी समावेशी सिद्धान्तक आधारमे करबाक ।
- गाउँ कार्यपालिकामे दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसँ गाउँ सभाद्वारा निर्वाचित दूगोटे सदस्य हएबाक सुनिश्चित कएलगेल ।
- नगर कार्यपालिकामे दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसँ नगर सभाद्वारा निर्वाचित तीनगोटे सदस्य हएबाक सुनिश्चित कएलगेल ।
- जिला समन्वय समितिमे दलित वा अल्पसंख्यकमेसँ जिला सभाद्वारा निर्वाचित कम्तीमे एक गोटे सदस्य रहबाक सुनिश्चित कएलगेल ।
- अल्पसंख्यक समुदायके सेहो हक अधिकारक संरक्षण करबालेल संवैधानिक आयोगक रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगक व्यवस्था ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति करबाक ।
- संवैधानिक अंग आ निकायक पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति करबाक ।

४.८ थारुक अधिकार सम्बन्धमे

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य करबाक ।
- समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकारक मूल्य आ मान्यता सुनिश्चित करबाक राज्यक राजनीतिक उद्देश्य हएत ।
- सामान्य कानूनक प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कोनो आधारमे भेदभाव नईं कएल जायत ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल थारूसहित नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।
- नेपालमे रहनिहार प्रत्येक नेपाली समुदायके कानून बमोजिम अपन मातृभाषामे शिक्षा पएबाक आ ताहिके लेल विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलबाक आ सञ्चालन करबाक हक हएत ।
- नेपालमे रहनिहार प्रत्येक नेपाली समुदायके अपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आ सम्पदाक संवर्धन आ संरक्षण करबाक हक हएत ।
- सामाजिक रूपसँ पाछा परल थारुके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्वासीक पहिचान कऽ रहबालेल घर घरारी तथा जीविकोपार्जनक लेल कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीके व्यवस्था करैत पुनःस्थापना करबाक ।
- संवैधानिक निकायक रुपमे एक थारु आयोगक व्यवस्था कएलगेल ।
- राज्यक संरचना करैतकाल समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहिचानक संरक्षण करबाक ।
- राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायक हएबाक ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होबऽबला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचनक लेल राजनीतिक दलक उम्मेदवारी समावेशी आधारमे करबाक ।
- संवैधानिक आयोगक रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगक व्यवस्था कएल गेल ।
- नेपाली सेनामे थारुके सेहो प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्तक आधारमे कएल जायत ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति कएल जायत ।
- संवैधानिक अंग आ निकायक पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति कएल जायत ।
- जनसंख्याक घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातक सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षके सेहो ध्यानमे रखैत काज करबालेल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हएत ।

४.९ मुस्लिमक अधिकार सम्बन्धमे

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य करबाक ।
- समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकारक मूल्य आ मान्यता सुनिश्चित करबाक राज्यक राजनीतिक उद्देश्य हएत ।
- सामान्य कानूनक प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कोनो आधारमे भेदभाव नईं कएल जायत ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल मुस्लिमसहितके नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।
- नेपालमे रहैत आएल प्रत्येक नेपाली समुदायके कानून बमोजिम अपन मातृभाषामे शिक्षा पएबाक आ ताहिके लेल विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलबाक आ सञ्चालन करबाक हक हएत ।
- नेपालमे रहनिहार प्रत्येक नेपाली समुदायके अपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आ सम्पदाक संवर्धन आ संरक्षण करबाक हक हएत ।
- सामाजिक रूपसँ पाछा परल मुस्लिमके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- मुस्लिम समुदायके सेहो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आ लाभक समान वितरण तथा तेहन समुदायभितरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आ विकासक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- संवैधानिक निकायक रुपमे एकटा मुस्लिम आयोग रहत ।
- राज्यक संरचना करैतकाल समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहिचानक संरक्षण करबाक ।
- राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायक हएत ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होबऽबला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचनक लेल राजनीतिक दलक उम्मेदवारी समावेशी आधारमे करबाक ।
- नेपाली सेनामे मुस्लिमके सेहो प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्तक आधारमे करबाक ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति करबाक ।
- संवैधानिक अंग आ निकायक पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति करबाक ।
- जनसंख्याक घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातक सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षके सेहो ध्यानमे रखैत काज करबालेल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हएत ।

४.१० अपांगता भेल व्यक्तिक अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबाक राज्यक राजनीतिक उद्देश्य हएत ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबालेल समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करैतकाल सब लिंग, क्षेत्र आ समुदायभितरके आर्थिक रूपसँ विपन्नके प्राथमिकता प्रदान करबाक राज्यक सामाजिक न्याय आ समावेशीकरण सम्बन्धी नीति हएत ।
- सामान्य कानूनक प्रयोगमे शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वा एहने अन्य कोनो आधारमे भेदभाव नईं कएल जायत ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल, अपांगता भेल व्यक्ति सहित नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।
- अपांगता भेल आ आर्थिक रूपसँ विपन्न नागरिकके कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पएबाक हक हएत ।
- दृष्टिविहीन नागरिकके ब्रेललिपि तथा बहिर आ स्वर वा बोली सम्बन्धी अपांगता भेल नागरिकके सांकेतिक भाषाक माध्यमसँ कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पएबाक हक हएत ।
- सामाजिक रूपसँ पाछा परल अपांगता भेल व्यक्तिके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- अपांगता भेल नागरिकके विविधताक पहिचानसहित मर्यादा आ आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन करबाक आ सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामे समान पहुँचक हक हएत ।
- आर्थिक रूपसँ विपन्न, अशक्त आ असहाय अवस्थामे रहल, अपांगता भेल नागरिकके सामाजिक सुरक्षाक हक हएत ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसँ कम्तीमे एक गोटे अपांगता भेल व्यक्ति वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हएबाक सुनिश्चित कएल गेल ।
- अपांगता भेल व्यक्तिके सेहो हक अधिकारक संरक्षण, सशक्तिकरण, विकास आ सम्वृद्धिक लेल संवैधानिक आयोगक रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगक व्यवस्था कएलगेल ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति कएल जायत ।
- संवैधानिक अंग आ निकायक पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति कएल जायत ।

पश्चिमा थारु

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

संविधानके मूलभूत प्रावधानः छोटकरी चिनारी

१. नेपालके संविधान आत्मसात कर्लक् मूल्य, मान्यता ओ सिद्धान्त

- नेपालके स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता ओ स्वाभिमानहे अक्षुण्ण रख्ना ।
- जनताके सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता ओ स्वशासनके अधिकारहे आत्मसात कैगैलक ।
- राष्ट्रहित, लोकतन्त्र ओ अग्रगामी परिवर्तनके लग हुइलक ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग ओ बलिदानहे सम्झटी शहीद, बेपत्ता ओ पीडित नागरिक प्रति सम्मान प्रकट ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक ओ भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताहे आत्मसात कैके विविधता बीचके एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता ओ सद्भावके संरक्षण ओ प्रवर्धन ।
- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद ओ सक्कु मेरीक जातीय छुवाछूत ओरवाके आर्थिक समानता ओ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करक लग समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण ।
- जनताके प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ओ स्वतन्त्र, निष्पक्ष ओ सक्षम न्यायपालिका ओ कानूनी राज्यके अवधारणामे आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहीके समृद्ध राष्ट्र बनैना प्रतिवद्धता ।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाके माध्यमसे दिगो शान्ति, सुशासन, विकास ओ समृद्धि कर्ना उद्देश्य ।

२. प्रारम्भिक व्यवस्था

- सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतासे जारी हुइलक संविधान नेपालके मूल कानून हो ।
- संविधानसे बाझ्जैना कानून बझ्लक हदसम अमान्य हुइना ।
- संविधानके पालना कर्ना प्रत्येक व्यक्तिके कर्तव्य हुइना ।
- नेपालके सार्वभौमसत्ता ओ राजकीयसत्ता नेपाली जनतामे निहित रहलक् ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामे रलक बराबर आकांक्षा ओ नेपालके राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित ओ समृद्धिप्रति आस्थावान रहीके एकताके सूत्रमे आबद्ध राष्ट्रके रुपमे रहना ।
- नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
- नेपालमे बोल्जैना सक्कु मातृभाषा राष्ट्रभाषाके रुपमे रहना ।
- देवनागरी लिपिमे लिख्जैना नेपाली भाषा नेपालके सरकारी कामकाजके भाषा हो ।
- नेपाली भाषाके अतिरिक्त प्रदेश आपन प्रदेशभित्तर बहुसंख्यक जनता बोल्ना डोसर राष्ट्रभाषाहे प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशके सरकारी कामकाजके भाषा निर्धारण करे सेक्ना ।

३. नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान

- कौनो फेन नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त कर्ना हकसे वञ्चित नैहुइना ।

- प्रादेशिक पहिचान सहितके एकल संघीय नागरिकताके व्यवस्था कैगैलक ।
- संविधान प्रारम्भ हुइबेरीक समय नेपालके नागरिकता पैलक व्यक्ति नेपालके नागरिक हुइना ।
- वंशजके आधारमे नेपालके नागरिकता प्राप्त कर्ना व्यक्ति निजके बाबा वा डाईक् नाउँसे लैङ्गिक पहिचान सहितके नागरिकताके प्रमाणपत्र पैना ।
- नागरिकके परिचय खुल्ना मेरीक अभिलेख ढइजैना ।
- नेपाली नागरिकता मिल्ना अवस्था :-

१. वंशज

- o संविधान प्रारम्भ हुइनासे आगे वंशजके नागरिकता पैलक् व्यक्ति,
- o जन्म हुइबेर कौनो व्यक्तिके बाबा वा डाई नेपालके नागरिक रलक अवस्थामे ओसिन व्यक्ति,
- o संविधान प्रारम्भ हुइनासे आगे बाबा वा डाई डुन्जाने जन्मके आधारमे नेपालके नागरिकता पैलक् सन्तान बालिग हुइलक बाद,
- o नेपालभित्तर फेला पर्लक् पितृत्व ओ मातृत्वके ठेगान नैहुइलक नाबालक निजके बाबा वा डाई फेला नैपरलसमम,
- o नेपालके नागरिक डाईसे नेपालमे जन्म होके नेपालमे जो बसोबास कर्लक ओ बाबक् पहिचान हुइ नैसेक्लक व्यक्ति,

  मने बाबा विदेशी नागरिक ठहरलमे संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामे परिणत हुइना,
- o विदेशी नागरिकसे भोज कर्लक नेपाली महिला नागरिकसे जन्मल, निज नेपालमे जो स्थायी बसोबास कैके निज विदेशी मुलुकके नागरिकता नैपैलक ओ नागरिकता पाइबेरीक समय निजके डाई ओ बाबा डुनु नेपाली नागरिक बटाँ कलेसे नेपालमे जन्मल ओसिन व्यक्ति ।

२. अंगिकृत नागरिकता

क. विदेशी नागरिक संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता पाइ सेक्ना ।

ख. वैवाहिक अंगिकृत

- o नेपाली नागरिकसे वैवाहिक सम्बन्ध कायम कर्लक विदेशी महिला संघीय कानून बमोजिम,
- o विदेशी नागरिकसे भोज कर्लक नेपाली नागरिकसे जन्मल, नेपालमे जो स्थायी बसोवास कर्लक ओ विदेशी नागरिकता नैपैलक व्यक्ति संघीय कानून बमोजिम

  मने नागरिकता पाइबेरीक समय डाई ओ बाबा डुनु नेपाली नागरिक रलेसे वंशजके आधारमे नेपाली नागरिकता पैना ।

३. सम्मानार्थ नागरिकता

- o संघीय कानून बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता डेहे सेक्जैना ।

४. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता

- o विदेशी मुलुकके नागरिकता पैलक, सार्क बाहेकके मुलुकमे बसोबास कर्लक, साविकमे वंशज वा जन्मके आधारमे निज वा निजके बाबा वा डाई, बुदु वा बुदी नेपालके नागरिक रहीके पाछे विदेशी नागरिकता पैलक व्यक्ति
- o संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकार उपभोग करे पैना

५. नेपालमे गाभल क्षेत्रमे बसोबास कर्ना व्यक्तिके नागरिकता

- o नेपालभित्तर गाभजैना मेरीक कौनो क्षेत्र मिल्लेसे ओसिन क्षेत्रभित्तर बसोबास कर्लक व्यक्ति संघीय कानूनके अधीनमे रहीके नेपालके नागरिक हुइना ।

४. समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी

नेपालके संविधान सबके लग सम्मानपूर्वक जिए पैना हक, स्वतन्त्रताके हक, समानताके हक, सञ्चारके हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितके हक, यातना विरुद्धके हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धके हक, छुवाछूत ओ भेदभाव विरुद्धके हक, सम्पत्तिके हक, धार्मिक स्वतन्त्रताके हक, सूचनाके हक, गोपनीयताके हक, शोषण विरुद्धके हक, स्वच्छ वातावरणके हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा ओ संस्कृतिके हक, रोजगारीके हक, श्रमके हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासके हक, महिलाके हक, बालबालिकाके हक, दलितके हक, ज्येष्ठ नागरिकके हक, सामाजिक न्यायके हक, सामाजिक सुरक्षाके हक, उपभोक्ताके हक, देश निकाला विरुद्धके हक, संवैधानिक उपचारके हक हे मौलिक हकके रुपमा स्थापित कैगैल बा । साथे, संवैधानिक निकायके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था कैगैल बा ।

यी बाहेक, महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, सीमान्तीकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, अपांगता हुइलक व्यक्ति, थारु ओ मुस्लिमके सम्बन्धमे अन्य अधिकार टरे डेहल बमोजिम बाः

४.१ महिलाके अधिकार सम्बन्धमे

- समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना
- लैंगिक विभेद अन्त्य कर्ना ।
- डाईक् नाउँसे नागरिकता पइना लगायतके नागरिकता सम्बन्धी विषय उपर नागरिकताके शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख करल बमोजिम हुइना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग वा अन्य कौनो आधारमे भेदभाव नैकइजैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल महिला लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कइना ।
- महिलाहे लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुइना ।
- महिलाहे सुरक्षित मातृत्व ओ प्रजनन स्वास्थ्यके हक हुइना ।
- महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कौनो आधारमे शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कौनो मेरीक हिंसाजन्य काम वा शोषण नैकइजैना ओ ओसिन काम दण्डनीय हुइना ओ पीडित क्षतिपूर्ति पइना ।
- राज्यके सक्कु निकायमे महिलन्के समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तके आधारमे सहभागीता रहना ।
- महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी ओ सामाजिक सुरक्षामे सकारात्मक विभेदके आधारमे विशेष अवसर पैना ।
- सम्पत्ति ओ पारिवारिक मामिलामे दम्पतीके बराबर हक हुइना ।
- सामाजिक रूपले पाछे परल महिला,फेन समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पइना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त ओ असहाय अवस्थामे रलक, असहाय एकल महिला समेत सामाजिक सुरक्षा पइना हक हुइना ।
- मौलिक हक ओ मानव अधिकारके मूल्य ओ मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित कैना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हुइना ।
- असहाय अवस्थामे रलक एकल महिलाहे सीप, क्षमता ओ योग्यताके आधारमे रोजगारीमे प्राथमिकता डेटी जीविकोपार्जनके लग समुचित व्यवस्था कर्ना ।
- जोखिममे पर्लक, सामाजिक ओ पारिवारिक बहिष्करणमे पर्लक ओ हिंसा पीडित महिलाहे पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण कैके स्वावलम्बी बनैना ।
- प्रजनन अवस्थामे आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगके सुनिश्चितता कर्ना ।
- लर्कापर्कनके पालन पोषण, परिवारके हेरचाह जसिन काम ओ योगदानहे आर्थिक रूपमा मूल्यांकन कर्ना ।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीन्के पहिचान कैके बसोबासके लग घर घडेरी ओ जीविकोपार्जनके लग कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीके व्यवस्था कैटी पुनःस्थापना कर्ना ।
- आर्थिक रूपले विपन्नहे प्राथमिकता डेना ।

- राज्यके संरचना करेबेर समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व ओ पहिचानके संरक्षण कर्ना ।
- राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायके रना ।
- प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनमे समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीके लग उम्मेदवारी डेहेबेर महिलाहे समेत समावेश कैके बन्दसूची तयार कर्ना ।
- संघीय संसद ओ प्रदेश सभामे निर्वाचित हुइना जम्मा सदस्यके कम्तीमे एक तिहाइ महिला सदस्य हुइना मेरीक सुनिश्चित कैगैलक ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे तीन जने महिला निर्वाचित हुइना ओ मनोनीत करेबेर कम्तीमे एक जने महिला समावेश करेपर्ना ।
- प्रतिनिधि सभाके सभामुख ओ उपसभामुखमध्ये एक जने ओ राष्ट्रिय सभाके अध्यक्ष ओ उपाध्यक्षमध्ये एक जने महिला रना ।
- प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जने महिला रना ।
- गाउँ कार्यपालिका ओ नगर कार्यपालिकामे चार जने महिला सदस्य रना ।
- जिल्ला समन्वय समितिमे कम्तीमे तीनजने महिला रना ।
- गाउँपालिका ओ नगरपालिकाके प्रत्येक वडासे कम्तीमे दुईजने महिलाके प्रतिनिधित्व हुइना मेरीक गाउँसभा ओ नगरसभाके गठन हुइना ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायके रुपमे रना ओ ओकर अध्यक्ष ओ सदस्यलोग महिला किल रना ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशमे कार्यालय स्थापना करे सेक्ना ।
- नेपाली सेनामे महिला समेतके प्रवेश समानता ओ समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कैजैना ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक निकाय ओ अन्य निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।

४.२ दलितके अधिकार सम्बन्धमे

- सक्कु मेरीक जातीय छुवाछूतके अन्त्य कर्ना ।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर्ना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य रना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति वा अन्य कौनो आधारमे भेदभाव नैकैजैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल महिला, दलित, लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- कौनो व्यक्तिहे उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाके आधारमे कौनो निजी ओ सार्वजनिक स्थानमे कौनो मेरीक छुवाछूत वा भेदभाव नैकैजैना ।
- कौनो वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण करेबेर ओसिन वस्तु, सेवा वा सुविधा कौनो खास जात वा जातिके व्यक्तिहे खरीद वा प्राप्त कर्नासे रोक लगाजइना वा ओसिन वस्तु, सेवा वा सुविधा कोनो खास जात वा जातिके व्यक्तिहे किल बिक्री वितरण वा नैडेना ।
- उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाके आधारमे कौनो व्यक्ति वा समुदायहे उच्च वा नीच दर्शैना, जात, जाति वा छुवाछूतके आधारमे सामाजिक भेदभावहे न्यायोचित ठन्ना वा छुवाछूत ओ जातीय उच्चता वा घृणामे आधारित विचारके प्रचार प्रसार कर्ना वा जातीय विभेदहे कौनो मेरसे प्रोत्साहन करे नैपैना ।
- जातीय आधारमे छुवाछूत कैके वा नैकैके कार्यस्थलमे कौनो प्रकारके भेदभाव करे नैपइना ।
- सक्कु मेरीक छुवाछूत ओ भेदभावजन्य काम गम्भीर सामाजिक अपराधके रूपमे दण्डनीय हुइना ओ पीडित क्षतिपूर्ति पइना ।
- दलित राज्यक् सक्कु निकायमे समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तके आधारमे सहभागी हुइ पइना ।
- दलित समुदाय आपन परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप ओ प्रविधिके प्रयोग, संरक्षण ओ विकास करे पइना ।
- सार्वजनिक सेवा लगायतके रोजगारीके अन्य क्षेत्रमे दलित समुदायके सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व ओ सहभागिताके लग विशेष व्यवस्था कैजैना ।
- दलित विद्यार्थीहे प्राथमिकसे उच्च शिक्षासम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाके व्यवस्था कैजैना ।

- प्राविधिक ओ व्यावसायिक उच्च शिक्षामे दलितके लग विशेष व्यवस्था कैजैना ।
- दलित समुदायहे स्वास्थ्य ओ सामाजिक सुरक्षा डेना विशेष व्यवस्था कैजैना ।
- दलित समुदायके परम्परागत पेशासे सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमे ओइनहे प्राथमिकता डेके ओकर लग आवश्यक पर्ना सीप ओ स्रोत उपलब्ध करा जैना ।
- भूमिहीन दलितहे एकफेरा जमीन उपलब्ध करैना ओ आवासविहीन दलितहे बसोबासके व्यवस्था कैजैना ।
- दलित समुदायहे प्राप्त सुविधा दलित महिला, पुरुष ओ सक्कु समुदायके दलित समानुपातिक रूपमे पइना मेरीक न्यायोचित वितरण कैजैना ।
- सामाजिक रूपले पाछे पर्लक महिला, दलित समेत समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पैना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति ओ संस्कारके नाउँमे हुइना सक्कु मेरीक विभेद, असमानता, शोषण ओ अन्यायके अन्त्य कर्ना ।
- हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीन्के पहिचान कैके बसोबासके लग घर घडेरी ओ जीविकोपार्जनके लग कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीके व्यवस्था कर्टी पुनःस्थापना कर्ना ।
- उत्पीडित ओ पिछरल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास ओ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- सामाजिक सुरक्षा ओ सामाजिक न्याय डेहेबेर सक्कु लिंग, क्षेत्र ओ समुदायभित्तरके आर्थिक रूपले विपन्नहे प्राथमिकता डेना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुइना प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनके लग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डेहेबेर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कर्ना ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे एक जने दलित निर्वाचित करेपर्ना ।
- गाउँ कार्यपालिकामे दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसे गाउँ सभा निर्वाचित कर्लक दुईजने सदस्य रहना ।
- नगर कार्यपालिकामे दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसे नगर सभा निर्वाचित कर्लक तीनजने सदस्य रहना ।
- जिल्ला समन्वय समितिमे दलित वा अल्पसंख्यकसे जिल्ला सभा निर्वाचित कर्लक कम्तीमे एकजने सदस्य रहना ।
- राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकायके रुपमा रहना ओ ओकर अध्यक्ष ओ सदस्य दलित किल रहना ।
- राष्ट्रिय दलित आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशमे कार्यालय स्थापना करे सेक्ना ।
- नेपाली सेनामे दलित समेतके प्रवेश समानता ओ समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कैजैना ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।

४.३ मधेशीके अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर्ना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हुइना ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि ओ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करक लग समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, वा अन्य कौनो आधारमे भेदभाव नैकैजैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल मधेशी लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- नेपालमे बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे कानून बमोजिम आपन मातृभाषामे शिक्षा पैना ओ ओकर लग विद्यालय ओ शैक्षिक संस्था खोल्ना ओ सञ्चालन कर्ना हक हुइना ।
- नेपालमे बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता ओ सम्पदाके संवर्धन ओ संरक्षण कर्ना हक हुइना ।
- सामाजिक रूपले पाछे परल मधेशी समेतहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पइना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति ओ संस्कारके नाउँमे हुइना सक्कु प्रकारके विभेद, असमानता, शोषण ओ अन्यायके अन्त्य कर्ना ।

- मधेशीहे आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर ओ लाभके बराबर वितरण ओ ओस्टक समुदायभित्तरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण ओ विकासके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीन्के पहिचान कैके बसोबासके लग घर घडेरी ओ जीविकोपार्जनके लग कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीके व्यवस्था कैटी पुनःस्थापना कर्ना ।
- उत्पीडित ओ पिछ्ररल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास ओ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- सामाजिक सुरक्षा ओ सामाजिक न्याय डेहेबेर सक्कु लिंग, क्षेत्र ओ समुदायभित्तरके आर्थिक रूपले विपन्नहे प्राथमिकता डेना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुइना प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनके लग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डेहेबेर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कर्ना ।
- संवैधानिक निकायके रुपमे नेपालमे एक मधेशी आयोग रहना ।
- नेपाली सेनामे मधेशी समेतके प्रवेश समानता ओ समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कैजैना ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।

४.४ आदिवासी जनजातिके अधिकार सम्बन्धमे

- समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना ।
- जातीय, क्षेत्रीय ओ भाषिक विभेदके अन्त्य कर्ना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति वा अन्य कौनो आधारमे भेदभाव नैकैजैना,
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछ्ररल आदिवासी, आदिवासी जनजाति लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- नेपालमे बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे कानून बमोजिम आपन मातृभाषामे शिक्षा पइना ओ ओकर लग विद्यालय ओ शैक्षिक संस्था खोल्ना ओ सञ्चालन कर्ना हक हुइना ।
- नेपालमे बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता ओ सम्पदाके संवर्धन ओ संरक्षण कर्ना हक हुइना ।
- सामाजिक रूपले पिछ्ररल, आदिवासी, आदिवासी जनजाति समेतहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पैना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- राष्ट्रिय सम्पदाके रूपमे रलक कला, साहित्य ओ सङ्गीतके विकासमे जोड डेना,
- समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति ओ संस्कारके नाउँमे हुइना सक्कु प्रकारके विभेद, असमानता, शोषण ओ अन्यायके अन्त्य कर्ना ।
- देशके सांस्कृतिक विविधता कायम रख्टी समानता ओ सहअस्तित्वके आधारमे मेरमेरीक जातजाति ओ समुदायके भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र ओ सम्पदाके संरक्षण ओ विकास कर्ना ।
- आदिवासी जनजातिके पहिचान सहित सम्मानपूर्वक जिए पैना अधिकार सुनिश्चित कर्ना अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- आदिवासी जनजातिन्से सरोकार रख्ना निर्णयमे सहभागी करैना ।
- आदिवासी जनजाति ओ स्थानीय समुदायके परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा ओ अनुभवहे संरक्षण ओ संवर्धन कर्ना ।
- राज्यके संरचना करेबेर समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व ओ पहिचानके संरक्षण कर्ना ।
- राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायके हुइना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुइना प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनके लग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डेहेबेर समावेशी आधारमे कर्ना ।
- संवैधानिक निकायके रुपमे नेपालमे एक आदिवासी जनजाति आयोग रहना ।

- नेपाली सेनामे आदिवासी जनजाति समेतके प्रवेश समानता ओ समावेशी सिद्धान्तके आधारमा कैजैना ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमा नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।

४.५ पिछडा वर्गके अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर्ना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हुइना ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि ओ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करक लग समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल पिछडा वर्ग लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- सामाजिक रूपले पिछरल पिछडा वर्ग समेतहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पैना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर ओ लाभके बराबर वितरण ओ ओसिन समुदायभित्तरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण ओ विकासके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- उत्पीडित ओ पिछरल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास ओ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- सामाजिक सुरक्षा ओ सामाजिक न्याय डेहेबेर सक्कु लिंग, क्षेत्र ओ समुदायभित्तरके आर्थिक रूपले विपन्नहे प्राथमिकता डेना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुइना प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनके लग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डेहेबेर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कर्ना ।
- पिछडा वर्ग समेतके हक अधिकारके संरक्षणके लग संवैधानिक आयोगके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था ।
- नेपाली सेनामे पिछडा वर्ग समेतके प्रवेश समानता ओ समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कैजैना ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।

४.६ सीमान्तीकृत समुदायके अधिकार सम्बन्धमे

- राजनीतिक, आर्थिक ओ सामाजिक रूपले पाछे पारगैल, विभेद ओ उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताके कारणले सेवा सुविधाके उपभोग करे नैसेक्लक वा मानव विकासके स्तर से न्यून स्थितिमे रलक समुदायहे सीमान्तीकृत समुदायके रुपमे परिभाषा कैगैलक ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि ओ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करक लग समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल सीमान्तीकृत समुदाय लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- सामाजिक रूपले पिछरल सीमान्तीकृत समुदाय समेतहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पैना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- उत्पीडित ओ पिछरल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास ओ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- सामाजिक सुरक्षा ओ सामाजिक न्याय डेहेबेर सक्कु लिंग, क्षेत्र ओ समुदायभित्तरके आर्थिक रूपले विपन्नहे प्राथमिकता डेना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुइना प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनके लग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डेहेबेर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कर्ना ।

- सीमान्तीकृत समुदाय समेतके हक अधिकारके संरक्षण करक लग संवैधानिक आयोगके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।

४.७ अल्पसंख्यक समुदायके अधिकार सम्बन्धमे

- निर्धारित प्रतिशत से कम जनसंख्या रलक जातीय, भाषिक ओ धार्मिक समूहहे अल्पसंख्यकके रुपमे परिभाषा कैगैलक ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि ओ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करक लग समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल अल्पसंख्यक लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- सामाजिक रूपले पिछरल अल्पसंख्यक समेतहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पैना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- आपन पहिचान कायम रख्टी सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कैजैना ।
- उत्पीडित ओ पिछरल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास ओ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कैजैना ।
- सामाजिक सुरक्षा ओ सामाजिक न्याय डेहेबेर सक्कु लिंग, क्षेत्र ओ समुदायभित्तरके आर्थिक रूपले विपन्नहे प्राथमिकता डेजैना ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे एक जने अपांगता हुइलक व्यक्ति वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुइना सुनिश्चित कैगैलक ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुइना प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनके लग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डेहेबेर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कर्ना ।
- गाउँ कार्यपालिकामे दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसे गाउँ सभा निर्वाचित कर्लक दुईजने सदस्य हुइना सुनिश्चित कैगैलक ।
- नगर कार्यपालिकामे दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसे नगर सभा निर्वाचित कर्लक तीनजने सदस्य हुइना सुनिश्चित कैगैलक ।
- जिल्ला समन्वय समितिमे दलित वा अल्पसंख्यकसे जिल्ला सभा निर्वाचित कर्लक कम्तीमे एकजने सदस्य हुइना सुनिश्चित कैगैलक ।
- अल्पसंख्यक समुदाय समेतके हक अधिकारके संरक्षण करक लग संवैधानिक आयोगके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।

४.८ थारुके अधिकार सम्बन्धमे

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य कर्ना ।
- समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना ।
- मौलिक हक ओ मानव अधिकारके मूल्य ओ मान्यता सुनिश्चित कर्ना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हुइना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कौनो आधारमे भेदभाव नैकैजैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल थारू लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।

- नेपालमा बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे कानून बमोजिम आपन मातृभाषामे शिक्षा पइना ओ ओकर लग विद्यालय ओ शैक्षिक संस्था खोल्ना ओ सञ्चालन कर्ना हक हुइना ।
- नेपालमे बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता ओ सम्पदाके संवर्धन ओ संरक्षण कर्ना हक हुइना ।
- सामाजिक रूपले पिछरल थारु समेतहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पैना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीन्के पहिचान कैके बसोबासके लग घर घडेरी ओ जीविकोपार्जनके लग कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीके व्यवस्था कर्टी पुनःस्थापना कर्ना ।
- संवैधानिक निकायके रुपमे एक थारु आयोगके व्यवस्था कैगैलक ।
- राज्यके संरचना करेबेर समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व ओ पहिचानके संरक्षण कर्ना ।
- राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायके हुइना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुइना प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनके लग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डेहेबेर समावेशी आधारमे कर्ना ।
- संवैधानिक आयोगके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था कैगैलक ।
- नेपाली सेनामे थारु समेतके प्रवेश समानता ओ समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कैजैना ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमा नियुक्ति कैजैना ।
- जनसंख्याके घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातके सुगमता, सामुदायिक ओ सांस्कृतिक पक्षहे समेत ध्यान रख्टी काम करक लग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुइना ।

४.९ मुस्लिमके अधिकार सम्बन्धमे

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य कर्ना ।
- समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना ।
- मौलिक हक ओ मानव अधिकारके मूल्य ओ मान्यता सुनिश्चित कर्ना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हुइना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कौनो आधारमे भेदभाव नैकैजैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल मुस्लिम लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- नेपालमे बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे कानून बमोजिम आपन मातृभाषामे शिक्षा पैना ओ ओकर लग विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ना ओ सञ्चालन कर्ना हक हुइना ।
- नेपालमे बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता ओ सम्पदाके संवर्धन ओ संरक्षण कर्ना हक हुइना ।
- सामाजिक रूपले पिछरल मुस्लिम समेतहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पइना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- मुस्लिम समुदाय समेतहे आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अवसर ओ लाभको बराबर वितरण ओ ओसिन समुदायभित्तरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण ओ विकासके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- संवैधानिक निकायके रुपमे एक मुस्लिम आयोग रहना ।
- राज्यके संरचना करेबेर समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व ओ पहिचानके संरक्षण कर्ना ।
- राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायके रना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुइना प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनके लग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डेहेबेर समावेशी आधारमे कर्ना ।
- नेपाली सेनामे मुस्लिम समेतके प्रवेश समानता ओ समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कैजैना ।

- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- जनसंख्याके घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातके सुगमता, सामुदायिक ओ सांस्कृतिक पक्षहे समेत ध्यान रख्टी काम करक लग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुइना ।

४.१० अपांगता हुइलक व्यक्तिके अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर्ना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हुइना ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि ओ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करक लग समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना ।
- सामाजिक सुरक्षा ओ सामाजिक न्याय डेहेबेर सक्कु लिंग, क्षेत्र ओ समुदायभित्तरके आर्थिक रूपले विपन्नहे प्राथमिकता डेना राज्यके सामाजिक न्याय ओ समावेशीकरण सम्बन्धी नीति हुइना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वा अस्टे अन्य कौनो आधारमे भेदभाव नैकैजैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल, अपांगता हुइलक व्यक्ति, लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- अपांगता हुइलक ओ आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकहे कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पइना हक हुइना ।
- दृष्टिविहीन नागरिकहे ब्रेललिपि ओ बहिरा ओ स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता हुइलक नागरिकहे सांकेतिक भाषाके माध्यमसे कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पइना हक हुइना ।
- सामाजिक रूपले पिछरल अपांगता हुइलक व्यक्ति समेतहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पइना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- अपांगता हुइलक नागरिकहे विविधताके पहिचान सहित मर्यादा ओ आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन करे पैना ओ सार्वजनिक सेवा ओ सुविधामे बराबर पहुँचके हक हुइना ।
- आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त ओ असहाय अवस्थामे रलक, अपांगता हुइलक नागरिकहे सामाजिक सुरक्षाके हक हुइना ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे एक जने अपांगता हुइलक व्यक्ति वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुइना सुनिश्चित कैगैलक ।
- अपांगता हुइलक व्यक्ति समेतके हक अधिकारके संरक्षण, सशक्तिकरण, विकास ओ सम्वृद्धिके लग संवैधानिक आयोगके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था कैगैलक ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमा नियुक्ति कैजैना ।